2025 का विधेयक संख्यांक 15.

"त्रिभुवन" सहकारी यूनिवर्सिटी विधेयक, 2025

खंडों का क्रम

खंड

अध्याय 1

प्रारंभिक

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ ।
2. "त्रिभुवन" सहकारी यूनिवर्सिटी को राष्ट्रीय महत्व की संस्था के रूप में घोषणा ।
3. परिभाषाएं ।

अध्याय 2

"त्रिभुवन" सहकारी यूनिवर्सिटी

4. "त्रिभुवन" सहकारी यूनिवर्सिटी की स्थापना और निगमन ।
5. विश्वविद्यालय की स्थापना का प्रभाव ।
6. विश्वविद्यालय के उद्देश्य ।
7. विश्वविद्यालय की शक्तियां और कृत्य ।
8. विश्वविद्यालय का सभी वर्गों, जातियों और पंथों के लिए खुला होना ।
9. पुनर्विलोकन करने और निदेश जारी करने की केन्द्रीय सरकार की शक्ति ।
10. कुलाधिपति ।

अध्याय 3

विश्वविद्यालय और इंस्टीट्यूट आफ रूरल मैनेजमेंट आणंद, स्कूल के अधिकारी

11. विश्वविद्यालय और इंस्टीट्यूट आफ रूरल मैनेजमेंट आणंद, स्कूल के अधिकारी ।
12. कुलपति ।
13. कुलसचिव ।
14. वित्त अधिकारी ।
15. इंस्टीट्यूट आफ रूरल मैनेजमेंट आणंद, स्कूल का निदेशक ।
16. संकायाध्यक्ष ।
17. परीक्षा नियंत्रक ।
18. पुस्तकालयाध्यक्ष ।
19. अन्य अधिकारी ।

अध्याय 4

विश्वविद्यालय और इंस्टीट्यूट आफ रूरल मैनेजमेंट आणंद, स्कूल के प्राधिकारी

20. विश्वविद्यालय और इंस्टीट्यूट आफ रूरल मैनेजमेंट आणंद, स्कूल के प्राधिकारी ।

खंड

21. शासी बोर्ड ।
22. कार्यकारी परिषद् ।
23. शैक्षणिक और अनुसंधान परिषद् ।
24. इंस्टीट्यूट आफ रूरल मैनेजमेंट आणंद, स्कूल का कार्यकारी बोर्ड ।
25. क्षमता निर्माण परिषद् ।
26. निर्धारण और विकास परिषद् ।
27. अनुसंधान और विकास परिषद् ।
28. संबद्धता और मान्यता बोर्ड ।
29. वित्त समिति ।
30. सहकारी अध्ययन बोर्ड ।
31. विश्वविद्यालय के अन्य प्राधिकरण ।
32. प्राधिकरणों की बैठकें ।

अध्याय 5

परिनियम, अध्यादेश और विनियम

33. परिनियम ।
34. परिनियम बनाने की शक्ति ।
35. अध्यादेश ।
36. अध्यादेश बनाने की शक्ति ।
37. विनियम ।

अध्याय 6

लेखा और संपरीक्षा

38. वार्षिक रिपोर्ट ।
39. वार्षिक लेखे ।
40. विश्वविद्यालय की निधि ।

अध्याय 7

प्रकीर्ण

41. कर्मचारियों, आदि की सेवा की शर्तें ।
42. अपील का अधिकार ।
43. भविष्य और पेंशन निधियां ।
44. विवरणियां और सूचना ।
45. कृत्यों और कार्यवाहियों का रिक्तियों के कारण अविधिमान्य नहीं होना ।
46. विश्वविद्यालय तथा इंस्टीट्यूट आफ रूरल मैनेजमेंट, आणंद स्कूल का सूचना का अधिकार अधिनियम के अधीन लोक प्राधिकारी होना ।
47. सद्भावपूर्वक की गई कार्रवाई के लिए संरक्षण ।

खंड

48. अधिनियम का अध्यारोही प्रभाव होना ।
49. विश्वविद्यालय के अभिलेख के सबूत का ढंग ।
50. परिनियमयों का संसद् के समक्ष रखा जाना ।
51. अवशिष्ट उपबंध ।
52. कठिनाइयों को दूर करने की शक्ति ।
53. संक्रमणकालीन उपबंध ।

पहली अनुसूची ।

दूसरी अनुसूची ।

2025 का विधेयक संख्यांक .

[दि "त्रिभुवन" सहकारी यूनिवर्सिटी बिल, 2025 का हिन्दी अनुवाद]

"त्रिभुवन" सहकारी यूनिवर्सिटी विधेयक, 2025

इंस्टीट्यूट आफ रूरल मैनेजमेंट, आणंद, "त्रिभुवन" सहकारी यूनिवर्सिटी के रूप में ज्ञात विश्वविद्यालय की स्थापना करने और उसे राष्ट्रीय महत्व की संस्था घोषित करने ; सहकारी क्षेत्र में तकनीकी और प्रबंधन शिक्षा तथा प्रशिक्षण प्रदान करने; सहकारी अनुसंधान और विकास की प्रोन्नति करने तथा 'सहकार से समृद्धि' के दर्शन को चरित्रार्थ करने के क्रम में इसमें वैश्विक श्रेष्ठता के मानकों को प्राप्त करने और संस्थाओं के तंत्र के माध्यम से देश में सहकारी आंदोलन को मजबूत करने के लिए, और संस्थान को विश्वविद्यालय के एक स्कूल के रूप में घोषित करने और उससे संबद्ध तथा उसके आनुषंगिक विषयों के लिए

विधेयक

भारत गणराज्य के छिहत्तरवें वर्ष में संसद् द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

अध्याय 1

प्रारंभिक

संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ ।

1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम "त्रिभुवन" सहकारी यूनिवर्सिटी अधिनियम, 2025 है ।

(2) यह उस तारीख को प्रवृत्त होगा जो केंद्रीय सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियत करे :

परंतु इस अधिनियम के भिन्न-भिन्न उपबंधों के लिए भिन्न-भिन्न तारीखें नियत की जा सकेंगी और ऐसे किसी उपबंध में इस अधिनियम के प्रारंभ के प्रति किसी निर्देश का यह अर्थ लगाया जाएगा कि वह उस उपबंध के प्रवृत होने के प्रतिनिर्देश है ।

"त्रिभुवन" सहकारी यूनिवर्सिटी को राष्ट्रीय महत्व की संस्था के रूप में घोषणा ।

2. "त्रिभुवन" सहकारी यूनिवर्सिटी का उद्देश्य इसे राष्ट्रीय महत्व की संस्था बनाना है, यह घोषित किया जाता है कि "त्रिभुवन" सहकारी यूनिवर्सिटी राष्ट्रीय महत्व की संस्था है ।

परिभाषाएं ।

3. (1) इस अधिनियम में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,—

(क) "विद्या और अनुसंधान परिषद्" से विश्वविद्यालय की विद्या और अनुसंधान परिषद् अभिप्रेत है ;

(ख) "शैक्षणिक कर्मचारिवृंद" से ऐसे प्रवर्गों के कर्मचारिवृंद अभिप्रेत हैं जो अध्यादेशों द्वारा शैक्षणिक कर्मचारिवृंद के रूप में अभिहित किए जाएं ;

(ग) "नियत तारीख" से धारा 4 की उपधारा (1) के अधीन विश्वविद्यालय की स्थापना की तारीख अभिप्रेत है ;

(घ) "निर्धारण और सुधार परिषद्" से विश्वविद्यालय की निर्धारण और सुधार परिषद् अभिप्रेत है ;

(ङ) "सहबद्धता और मान्यता बोर्ड" से विश्वविद्यालय का सहबद्धता और मान्यता बोर्ड अभिप्रेत है ;

(च) "सहकारी अध्ययन बोर्ड" विश्वविद्यालय के स्कूल का सहकारी अध्ययन बोर्ड अभिप्रेत है ;

(छ) "क्षमता निर्माण परिषद्" से विश्वविद्यालय की क्षमता निर्माण परिषद् अभिप्रेत है;

(ज) "कुलाधिपति" से विश्वविद्यालय का कुलाधिपति अभिप्रेत है ;

(झ) "सहकारी सिद्धांत" से बहुराज्य सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 2002 की पहली अनुसूची में उपबंधित सहकारी सिद्धांत अभिप्रेत है ; 2002 का 39

(ञ) "सहकारी सोसाइटी" से संबंधित राज्यों, विधान-मंडल के साथ और विधान-मंडल के बिना संघ राज्यक्षेत्रों के सहकारी सोसाइटी अधिनियमों तथा बहुराज्य सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 2002 के अधीन रजिस्ट्रीकृत सभी सहकारी सोसाइटियां अभिप्रेत हैं ; 2002 का 39

(ट) "संकायाध्यक्ष" से विश्वविद्यालय की शाखा का प्रमुख या प्रशासनिक विभाग का प्रमुख अभिप्रेत है ;

(ठ) "निदेशक" से इंस्टीट्यूट आफ रूरल मैनेजमेंट, आणंद स्कूल का निदेशक अभिप्रेत है ;

(ड) "कर्मचारी" से विश्वविद्यालय द्वारा नियुक्त कोई व्यक्ति अभिप्रेत है और उसमें विश्वविद्यालय के अध्यापक और अन्य कर्मचारिवृंद सम्मिलित हैं ;

(ढ) "कार्यकारी बोर्ड" से इंस्टीट्यूट आफ रूरल मैनेजमेंट, आणंद स्कूल का

कार्यकारी बोर्ड अभिप्रेत है ;

(ण) "कार्यकारी परिषद्" से विश्वविद्यालय की कार्यकारी परिषद् अभिप्रेत है ;

(त) "वित्त समिति" से विश्वविद्यालय की वित्त समिति अभिप्रेत है ;

(थ) "निधि" से धारा 38 में निर्दिष्ट विश्वविद्यालय निधि अभिप्रेत है ;

(द) "शासी बोर्ड" से विश्वविद्यालय का शासी बोर्ड अभिप्रेत है ;

(ध) "छात्रावास" से यथास्थिति, विश्वविद्यालय या स्कूल के विद्यार्थियों के लिए आवास की इकाई अभिप्रेत है ;

(न) "संस्थान" से शैक्षिक संस्था अभिप्रेत है, जिसमें विश्वविद्यालय के विशेषाधिकारों प्रविष्ट या सहबद्ध महाविद्यालय सम्मिलित हैं और पद "संस्था" का तदनुसार अर्थ लगाया जाएगा ;

(प) "इंस्टीट्यूट आफ रूरल मैनेजमेंट, आणंद" से सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1860 के अधीन स्थापित और निगमित और आणंद, गुजरात में अवस्थित, इंस्टीट्यूट आफ रूरल मैनेजमेंट, आणंद अभिप्रेत है ;

1860 का 21

(फ) "इंस्टीट्यूट आफ रूरल मैनेजमेंट, आणंद स्कूल" से विश्वविद्यालय के विद्यापीठों में से एक स्कूल अभिप्रेत है ;

(ब) "अधिसूचना" से राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना अभिप्रेत है और "अधिसूचित" पद का उसके सजातीय अर्थ और व्याकरणिक रूपभेद का तदनुसार अर्थ लगाया जाएगा ;

(भ) "दूरस्थ परिसर" से विश्वविद्यालय का परिसर अभिप्रेत है, जो उसके द्वारा भारत में या भारत के बाहर किसी स्थान पर स्थापित किया जाए ;

(म) "रजिस्ट्रार" से विश्वविद्यालय का रजिस्ट्रार अभिप्रेत है ;

(य) "अनुसंधान और विकास परिषद्" से विश्वविद्यालय की अनुसंधान और विकास परिषद् अभिप्रेत है ;

(यक) "अनुसूची" से इस अधिनियम से संलग्न अनुसूची अभिप्रेत है ;

(यख) "स्कूल" से विश्वविद्यालय द्वारा प्रत्येक क्षेत्र में, जहां विश्वविद्यालय द्वारा डिग्री, डिप्लोमा, प्रमाणपत्र प्रदान किए जाते हैं, स्थापित स्कूल अभिप्रेत है ;

(यग) "परिनियम", "अध्यादेश" और "विनियम" से इस अधिनियम के अधीन विश्वविद्यालय द्वारा बनाए गए क्रमश: परिनियम, अध्यादेश और विनियम अभिप्रेत हैं ;

(यघ) "विश्वविद्यालय के अध्यापक" से आचार्य, सह-आचार्य, सहायक आचार्य और ऐसे अन्य व्यक्ति अभिप्रेत है जो विश्वविद्यालय में या विश्वविद्यालय द्वारा अनुरक्षित किसी दूरस्थ परिसर में अनुदेश देने, प्रशिक्षण देने या अनुसंधान का संचालन करने के लिए नियुक्त किए जाएं ;

(यङ) "विश्वविद्यालय" से इस अधिनियम के अधीन विश्वविद्यालय के रूप में स्थापित और निगमित, "त्रिभुवन" सहकारी यूनिवर्सिटी अभिप्रेत है;

(यच) "त्रिभुवन सहकारी यूनिवर्सिटी" से इस अधिनियम के अधीन विश्वविद्यालय के रूप में स्थापित और निगमित "त्रिभुवन" सहकारी यूनिवर्सिटी अभिप्रेत है ;

(यछ) "कुलपति" से विश्वविद्यालय का कुलपति अभिप्रेत है ।

(2) उन शब्दों और पदों के, जो इसमें प्रयुक्त हैं और परिभाषित नहीं है किंतु बहुराज्य सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 2002 में परिभाषित हैं, क्रमशः वही अर्थ होंगे, जो उस अधिनियम में है । 2002 का 39

अध्याय 2

"त्रिभुवन" सहकारी यूनिवर्सिटी

"त्रिभुवन" सहकारी यूनिवर्सिटी की स्थापना और निगमन ।

4. (1) केंद्रीय सरकार ऐसी तारीख से जो अधिसूचना द्वारा नियत की जाए "'त्रिभुवन" सहकारी यूनिवर्सिटी' नाम से ज्ञात विश्वविद्यालय के रूप में इंस्टीट्यूट आफ रूरल मैनेजमेंट, आणंद की स्थापना करेगी, जो एक निगमित निकाय होगा जिसका अपना शाश्वत उत्तराधिकार और अपनी सामान्य मुद्रा होगी और उसे इस अधिनियम के उपबंधों के अध्यधीन संपत्ति का अर्जन, धारण और व्ययन करने की संविदा करने की शक्ति होगी और वह उस नाम से वाद लाएगा और उस पर वाद लाया जाएगा ।

(2) विश्वविद्यालय का मुख्यालय गुजरात राज्य के आणंद में होगा और विश्वविद्यालय भारत में ऐसे अन्य स्थानों पर भी, जो वह ठीक समझे, विद्यापीठों या दूरस्थ परिसरों की स्थापना अथवा संस्थानों को सहबद्ध कर सकेगा :

परंतु विश्वविद्यालय, केंद्रीय सरकार के पूर्व अनुमोदन से भारत के बाहर दूरस्थ परिसरों की स्थापना या अनुरक्षण अथवा संस्थानों को सहबद्ध कर सकेगी ।

(3) कुलाधिपति, कुलपति, शासी बोर्ड के सदस्य, कार्यकारी परिषद्, शैक्षिक और अनुसंधान परिषद्, क्षमता निर्माण परिषद्, निर्धारण और सुधार परिषद्, अनुसंधान और विकास परिषद्, और अन्य प्राधिकारी विश्वविद्यालय का गठन करेंगे ।

विश्वविद्यालय की स्थापना का प्रभाव ।

5. (1) इस अधिनियम के प्रारंभ की तारीख से ही,—

(क) सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1860 के अधीन सोसाइटी के रूप में रजिस्ट्रीकृत इंस्टीट्यूट आफ रूरल मैनेजमेंट, आणंद विघटित हो जाएगा ; 1860 का 21

(ख) इंस्टीट्यूट आफ रूरल मैनेजमेंट, आणंद के प्रति निर्देश या किसी संविदा या अन्य लिखत में विश्वविद्यालय के प्रति निर्देश के रूप में समझा जाएगा ;

(ग) इंस्टीट्यूट आफ रूरल मैनेजमेंट, आणंद की संपूर्ण संपत्ति या आस्तियां, स्थावर या जंगम संपत्ति या माल-असबाब विश्वविद्यालय में निहित होगी ;

(घ) इंस्टीट्यूट आफ रूरल मैनेजमेंट, आणंद के सभी अधिकार और दायित्व विश्वविद्यालय को अंतरित हो जाएंगे और उसी के अधिकार और दायित्व होंगे ;

(ङ) इंस्टीट्यूट आफ रूरल मैनेजमेंट, आणंद स्कूल की पहचान और स्वायत्तता और उसके अधिकार तथा विशेषाधिकार जारी रहेगे :

परंतु इस अधिनियम के अधीन इस प्रकार घोषित इंस्टीट्यूट आफ रूरल मैनेजमेंट, आणंद स्कूल का एक कार्यकारी बोर्ड होगा, जो स्कूल की इस धारा के

अधीन यथा प्रदत्त पहचान और स्वायतता को सुनिश्चित करने के लिए उत्तरदायी होगा :

परंतु यह और कि इंस्टीट्यूट आफ रूरल मैनेजमेंट, आणंद स्कूल का एक निदेशक होगा जो विश्वविद्यालय के अन्य नियमित उत्तरदायित्वों के अतिरिक्त कार्यकारी बोर्ड के विनिश्चयों के क्रियान्वयन के लिए उत्तरदायी होगा ।

(2) इंस्टीट्यूट आफ रूरल मैनेजमेंट, आणंद स्कूल, ग्रामीण प्रबंधन के लिए उत्कर्ष केंद्र के रूप में घोषित किया जाएगा ।

स्पष्टीकरण—इस उपधारा के प्रयोजनों के लिए "उत्कर्ष केंद्र" पद से इंस्टीट्यूट आफ रूरल मैनेजमेंट, आणंद स्कूल का अपने क्षेत्र में उत्कृष्टता प्राप्त करने के लिए विश्वविद्यालय के समग्र संस्थागत ढांचे के भीतर अधिक स्वायतता प्राप्त करना और विश्वविद्यालय के भीतर शिक्षा, प्रशिक्षण प्रदान करने और अनुसंधान करने में सर्वोत्तम प्रथाओं को विकसित करने और प्रसारित का उत्तरदायित्व भी अभिप्रेत है ।

(3) इस अधिनियम के उपबंधों के अध्यधीन रहते हुए, इंस्टीट्यूट आफ रूरल मैनेजमेंट, आणंद द्वारा नियोजित प्रत्येक व्यक्ति विश्वविद्यालय में उसी पदावधि के लिए उसी पारिश्रमिक पर उन्हीं निबंधनों और शर्तों पर तथा पेंशन, छुट्टी, उपदान, भविष्य निधि और अन्य विषयों के बारे में उन्हीं अधिकारों और विशेषाधिकारों के साथ पद धारण करेंगे और सेवा में रहेंगे, जो वे धारण करते हैं, यदि इस अधिनियम को अधिनियमित नहीं किया जाता और ऐसा तब तक करते रहेंगे, जब तक उनका नियोजन समाप्त नहीं कर दिया जाता या जब तक ऐसी पदावधि, पारिश्रमिक और निबंधनों तथा शर्तों को परिनियमों द्वारा सम्यक् रूप से परिवर्तित नहीं कर दिया जाता :

परंतु विश्वविद्यालय को इस अधिनियम के प्रारंभ के अव्यवहित पूर्व इंस्टीट्यूट आफ रूरल मैनेजमेंट, आणंद ने स्थाई रूप से नियोजित व्यक्तियों की सेवाएं, किसी क्षेत्र, फील्ड, विभाग और वैसे ही तथा भारत के किसी स्थान या अवस्थान जैसाकि विश्वविद्यालय द्वारा उसके आगे के उद्देश्यों के लिए उचित समझा जाए, में रखने की स्वतंत्रता होगी ।

(4) इंस्टीट्यूट आफ रूरल मैनेजमेंट, आणंद स्कूल के किसी जारी शैक्षिक कार्यक्रम और पाठ्यक्रम की पहचान और स्वायता विश्वविद्यालय द्वारा परिरक्षित की जाएगी और कोई उपांतरण, यदि आवश्यक हो, ऐसे स्कूल के कार्यकारी बोर्ड की सहमति से किया जाएगा ।

(5) इंस्टीट्यूट आफ रूरल मैनेजमेंट, आणंद स्कूल को प्रशासनिक और शैक्षिक स्वायत्ता होगी, जो परिनियमों द्वारा उपबंधित की जाए ।

(6) इंस्टीट्यूट आफ रूरल मैनेजमेंट, आणंद के प्रत्येक शैक्षिक कर्मचारिगण, अध्यापक और प्रत्येक अन्य कर्मचारी के, जो इस अधिनियम के प्रारंभ से पहले सेवानिवृत्त हो गया है, सेवानिवृत्ति पश्चात् फायदे जिसके अंतर्गत चिकित्सीय फायदे भी हैं, यदि कोई हो विश्वविद्यालय द्वारा ऐसी रीति और प्ररूप में, जो उपयुक्त समझी जाए, जो सेवानिवृत्त कर्मचारियों के लिए अलाभकर नहीं हो, वहन किए

जाएंगे ।

(7) इस अधिनियम के प्रारंभ के समय इंस्टीट्यूट आफ रूरल मैनेजमेंट, आणंद के किन्हीं स्थाई कर्मचारियों के विरुद्ध जारी कोई अनुशासनिक कार्रवाइयां इंस्टीट्यूट आफ रूरल मैनेजमेंट, आणंद सोसाइटी नियम, 2004 द्वारा शासित होती रहेंगी ।

(8) अध्यापक, शैक्षिक कर्मचारीगण और प्रत्येक अन्य कर्मचारियों से संबंधी सेवाओं की शर्तों को शासित करने वाले अन्य मामलों का अवधारण कार्यकारी परिषद् द्वारा बनाए गए उपबंधों द्वारा किया जाएगा ।

विश्वविद्यालय के उद्देश्य ।

6. विश्वविद्यालय के उद्देश्य निम्नलिखित होंगे, अर्थात् :—

(i) सहकारी क्षेत्र की उसके स्वयं के स्कूल की स्थापना करके या संस्थानों को सहबद्ध करके वर्तमान और भविष्य की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अर्हित और प्रशिक्षित मानव शक्ति प्रदान करना ;

(ii) सहकारी सोसाइटी के कर्मचारियों और बोर्ड के सदस्यों को सभी स्तरों पर प्रशिक्षण, शिक्षा प्रदान करना और क्षमता निर्माण करना ;

(iii) सहबद्ध सहकारी संस्थानों और प्रशिक्षण केंद्रों के शैक्षिक और अनुसंधान क्रियाकलापों को एकीकृत, समन्वित और मानकीकृत करने के लिए शीर्ष निकाय के रूप में कार्य करना ;

(iv) सहकारी शिक्षा में पाठ्यक्रम परिकल्पना और अंतर्वस्तु, अध्यापन, पाठ्यक्रम परिदान का और राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय सर्वोतम प्रथाओं के अनुसार प्रशिक्षण का और इस अधिनियम की पहली अनुसूची में विनिर्दिष्ट मार्ग-दर्शक सिद्धांतों का मानकीकरण करना ;

(v) सहकारी शिक्षा, प्रशिक्षण, अनुसंधान और सलाह के लिए उत्कर्ष केंद्रों का विकास करना ;

(vi) सहकारिता शिक्षा और प्रशिक्षण के क्षेत्र में तथा सहकारी सोसाइटी से संशक्त किसी अन्य क्षेत्र में उन्नत अध्ययन के लिए राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय ख्याति के संस्थान के रूप में विकसित करना ;

(vii) सहकारी शिक्षा और प्रशिक्षण के क्षेत्र में संस्थागत और अनुसंधान सुविधाएं प्रदान करके ज्ञान का प्रसार और उन्नति करना तथा अध्यापन-अध्ययन प्रक्रिया तथा अंतर-अनुशासनिक अध्ययन और अनुसंधान में नवाचार की प्रोन्नति के लिए समुचित उपाय करना ;

(viii) सभी क्षेत्रों के लिए सहयोग के क्षेत्र में स्टेट-आफ-द-आर्ट शिक्षा और प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए विद्यापीठों की स्थापना और संस्थानों को सहबद्ध करना ;

(ix) सहकारी सोसाइटियों की शिक्षा और प्रशिक्षण आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए दूरस्थ अध्ययन, या मास-ई-अध्ययन प्लेटफार्म, और पाठ्यक्रमों का उपबंध करना ;

(x) सहकारिता से संबंधित सभी क्षेत्रों में अनुसंधान और विकास करना और उनकी प्रोन्नति करना ;

(xi) सहकारिता के क्षेत्र में नवाचार, उद्यम और स्टार्ट-अप का संवर्धन करना;

(xii) उद्योग, संस्था, सरकार, अंतरराष्ट्रीय सहकारिता मैत्री और भारत और विदेश में सहकारी शैक्षिक संस्थाओं, सभी स्तरों पर सहकारी सोसाइटियों या संघों या परिसंघों के साथ, उसके उद्देश्यों को अग्रसर करने में साझेदारी और संयोजन की स्थापना तथा अभिवृद्धि करना ;

(xiii) किन्ही अन्य उद्देश्यों का निर्वहन करना, जो विश्वविद्यालय उसके उद्देश्य को अग्रसर करने के लिए उपयुक्त समझे ;

(xiv) अन्य ऐसे उद्देश्यों का निर्वहन करना, जो इस अधिनियम के उपबंधों और उसके अधीन बनाए गए परिनियमों से असंगत न हों, जिसे केंद्रीय सरकार इस निमित्त राजपत्र में अधिसूचना द्वारा विहित करे ।

विश्वविद्यालय की शक्तियां और कृत्य ।

7. (1) विश्वविद्यालय, इस अधिनियम और उसके अधीन बनाए गए परिनियमों और जारी किए गए अध्यादेशों के उपबंधों के अधीन रहते हुए निम्नलिखित शक्तियों का प्रयोग और कृत्यों का पालन करेगा, अर्थात् :—

(i) अध्ययन के अपेक्षित पाठ्यक्रमों की योजना बनाना, परिकल्पना करना, विकास करना और सहकारिता के क्षेत्र में समुचित शैक्षिक और प्रशिक्षण कार्यक्रम संचालित करना ;

(ii) ऐसी शर्तों के अध्यधीन, जो विश्वविद्यालय अवधारित करे, डिप्लोमा या प्रमाणपत्र प्रदान करना और परीक्षा, मूल्यांकन या परीक्षण की किसी अन्य पद्धति के आधार पर व्यक्तियों को डिग्रियां या अन्य विद्या संबंधी उपाधियां प्रदत्त करना तथा अच्छे और पर्याप्त कारण से किसी ऐसे डिप्लोमा, प्रमाणपत्र, डिग्री या अन्य विद्या संबंधी उपाधियों को वापस लेना ;

(iii) विश्वविद्यालय के साथ नियमित छात्रों के रूप में नामंकित नहीं हुए व्यक्तियों के लिए व्याख्यान और अनुदेश प्रदान करना और उन्हें प्रमाणपत्र प्रदान करना ;

(iv) ऐसे दूरस्थ परिसर, नए सरकारी उद्यमों के लिए, लक्षित कौशल विकास के केन्द्रों या अनुसंधान, अनुदेश और प्रशिक्षण के लिए अन्य इकाईयों जो विश्वविद्यालय की राय में उसके उद्देश्यों को आगे बढ़ाने के लिए आवश्यक है, की स्थापना करना और उनका रखरखाव करना;

(v) मांग के निर्धारण के अधीन रहते हुए विद्यापीठों और छात्रावासों की स्थापना और रखरखाव करना;

(vi) इस अधिनियम के अधीन बनाए गए परिनियमों द्वारा इंस्टीट्यूट आफ रूरल मैनेजमेंट, आणंद स्कूल के नाम का उपबंध करना ।

(vii) मानक डिग्रियां या अन्य उपाधियां प्रदान करना ;

(viii) विश्वविद्यालय द्वारा अपेक्षित आचार्य पद, सह-आचार्य पद, सहायक

आचार्य पद और अन्य शिक्षा या शैक्षिक को संस्थित करना और ऐसे आचार्य पद, सह-आचार्य पद, और अन्य शिक्षण या शैक्षिक पदों पर किन्हीं व्यक्तियों की नियुक्ति करना;

(ix) किसी विश्वविद्यालय या किसी अन्य शैक्षिक संस्था में कार्य करने वाले व्यक्तियों को, जिसके अंतर्गत देश के बाहर अवस्थित संस्था भी विश्वविद्यालय के शिक्षकों के रूप में नियुक्त करना;

(x) प्रशासनिक, अन्य सचिवीय और अन्य पद सृजित करना और उन पर वितीय संसाधनों की उपलब्धता के अधीन रहते हुए नियुक्तियां करना ;

(xi) किसी अन्य विश्वविद्यालय या प्राधिकरण या उच्च शिक्षा संस्था, जिसके अंतर्गत देश के बाहर अवस्थित संस्था भी है के साथ ऐसी रीति में और ऐसे प्रयोजनों के लिए जो विश्वविद्यालय द्वारा अवधारित किए जाएं, सहयोग या संपोषण या सहायता करना;

(xii) दूरस्थ शिक्षा प्रणाली के माध्यम से सुविधाएं प्रदान करना;

(xiii) शैक्षणिक मानक और अनुसंधान का विकास करने के लिए अध्येतावृतियां, छात्रवृतियां, अध्ययनवृतियां, पदक और पुरस्कार संस्थित करना और प्रदान करना ;

(xiv) निवेश बाह्य अध्ययन, प्रशिक्षण और विस्तार सेवाओं का आयोजन करना और उन्हें प्रारंभ करना ;

(xv) अनुसंधान और सलाहकार सेवाओं के लिए व्यवस्था करना और उस प्रयोजन के लिए अन्य संस्थाओं, औद्योगिक या अन्य संगठनों से उस प्रयोजन के लिए ऐसे ठहराव करना, जो विश्वविद्यालय आवश्यक समझे ;

(xvi) शिक्षकों, मूल्यांककों, अन्य शैक्षिक कर्मचारिवृंद और छात्रों के लिए पुनश्चर्या पाठ्यक्रमों, कार्यशाला, सेमिनारों, सम्मेलनों, प्रशिक्षकों के प्रशिक्षण और अन्य कार्यक्रमों का आयोजन और संचालन करना;

(xvii) अभ्यागत आचार्यों, प्रतिष्ठित आचार्यों, परामर्शदाताओं और ऐसे अन्य व्यक्तियों को संविदा पर या अन्यथा नियुक्त करना, जो विश्वविद्यालय के उद्देश्यों की अभिवृद्धि में योगदान दे सकें ;

(xviii) विश्वविद्यालय में प्रवेश के मानक अवधारित करना, जिसमें परीक्षा, मूल्यांकन और परीक्षण की कोई अन्य पद्धति सम्मिलित हो सकेगी;

(xix) फीस और अन्य प्रभारों की मांग करना और भुगतान प्राप्त करना;

(xx) परियोजनाएं शुरु करने और परामर्शी सेवाओं के लिए मांग करना और भुगतान प्राप्त करना;

(xxi) सभी प्रवर्गों के कर्मचारियों की सेवा की शर्तें, जिसके अंतर्गत उनकी आचार संहिता भी है, अथिकथित करना;

(xxii) छात्रों और कर्मचारियों का पर्यवेक्षण, नियंत्रण, विनियमन करना और उनके बीच अनुशासन का प्रवर्तन करना तथा इस संबंध में ऐसे अनुशासनिक उपाय

करना, जो विश्वविद्यालय द्वारा आवश्यक होने के लिए उपयुक्त समझे जाएंगे;

(xxiii) कर्मचारियों और छात्रों के स्वास्थ्य और साधारण कल्याण की अभिवृद्धि के लिए इंतजाम करना;

(xxiv) विश्वविद्यालय के प्रयोजनों के लिए केंद्रीय सरकार के पूर्वानुमोदन से उपकृति, संदान और दान प्राप्त करना और किसी स्थावर या जंगम संपत्ति को, जिसके अंतर्गत न्यास या विन्यास संपत्ति है, अर्जित करना, धारण करना, उसका प्रबंध और व्ययन करना ;

(xxv) केन्द्रीय सरकार के पूर्वानमोदन से किसी स्थावर संपत्ति का निपटान करना;

(xxvi) केंद्रीय सरकार के पूर्वानुमोदन से विश्वविद्यालय की संपत्ति की प्रतिभूति पर विश्वविद्यालय के प्रयोजनों के लिए धन उधार लेना ;

(xxvii) सहकारी प्रबंधन के क्षेत्रों में और अन्य संबंधित क्षेत्रों में नवीन प्रयोग और नई पद्धतियों और प्रौद्योगिकियों की अभिवृद्धि करना;

(xxviii) किसी भूमि या भवन या संकर्म का, ऐसे निबंधनों और शर्तों पर जो उपयुक्त समझी जाएं, क्रय करना या पट्टे पर लेना, जो विश्वविद्यालय के उद्देश्यों के लिए आवश्यक या सुविधाजनक हो और ऐसे किसी भवन या संकर्म का संनिर्माण, उसमें परिवर्तन और उसका रखरखाव करना;

(xxix) कोई नई डिग्री, सहबद्ध पाठ्यक्रम या अनुसंधान कार्यक्रम, या डिप्लोमा या प्रमाण पत्र या प्रशिक्षण कार्यक्रस प्रारंभ करना या किन्हीं पाठ्क्रमों या अनुसंधान कार्यक्रमों या प्रशिक्षण कार्यक्रमों को छात्रों के हितों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना समाप्त करना;

(xxx) ऐसी प्रतिभूति में या उस पर विश्वविद्यालय की निधियों को विनिहित करना और विश्वविद्यालय के हित में, ऐसी रीति में, जो उचित समझे और परिनियमों द्वारा यथा उपबंधित, समय-समय पर कोई विनिधान अंतर्विनियम करना;

(xxxi) भारत सरकार और अन्य राष्ट्रीय संस्थाओं, राज्य सरकारों और राष्ट्रीय सहकारी सोसाइटियों के लिए सहकारी सोसाइटियों से संबंधित सभी मामलों पर सलाहकारी निकाय के रूप में कार्य करना ;

(xxxii) किसी संस्थान को या भारत में या उसके बाहर किसी संस्थान द्वारा संचालित किए जाने वाले विशिष्ट पाठ्यक्रम या कार्यक्रम को सहबद्धता प्रदान करना ;

(xxxiii) अध्यापकों या व्यवसायियों का सहकारी प्रशिक्षको और संसाधन व्यक्तियों के रूप में विकास और सत्यापन करना ;

(xxxiv) अनुदेशनात्मक और प्रशिक्षण सामग्री तैयार करने के लिए उपबंध करना जिसके अंतर्गत चलचित्र, श्रव्य दृश्य सामग्रियां, अन्य साफ्टवेयर और इसी प्रकार की अन्य चीजें तैयार करने का उपबंध करना ;

(xxxv) विश्वविद्यालय के विशेषाधिकारों से संबद्ध या सहबद्ध किसी संस्थान में अनुदेश प्रदान करने के लिए किन्हीं व्यक्तियों को मान्यता देना ;

(xxxvi) ऐसी सभी बातें करना, जो विश्वविद्यालय के सभी या किन्हीं उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए आवश्यक, आनुषांगिक या सहायक हों ।

(2) विश्वविद्यालय को अपनी शक्तियों का प्रयोग करने में दूरस्थ परिसरों पर अधिकारिता होगी ।

(3) उपधारा (1) में निर्दिष्ट शक्तियों का प्रयोग करते हुए विश्वविद्यालय का यह प्रयास होगा कि वह अध्यापन, प्रशिक्षण और अनुसंधान के अखिल भारतीय स्वरूप और उच्च मानदंड को बनाए रखे तथा विश्वविद्यालय ऐसे अन्य उपायों, जो उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यक हो, विशेषकर निम्नलिखित उपाय करेगा, अर्थात् :—

(i) छात्रों का प्रवेश और शिक्षकों की भर्ती कार्यकारी परिषद् द्वारा अनुमोदित समुचित प्रक्रियाओं के माध्यम से अखिल भारतीय आधार पर किया जाएगा ;

(ii) सहकारियों के लिए स्व-वितपोषण मांग आधारित अनुकूलित पाठ्यक्रम संचालित करना ;

(iii) विदेशी छात्रों को भारत सरकार की नीतियों और स्कीमों तथा विश्वविद्यालय की कार्यकारी परिषद् द्वारा अनुमोदित प्रक्रिया के अनुसार विभिन्न पाठ्यक्रमों और कार्यक्रमों में विश्वविद्यालय द्वारा प्रवेश दिया जा सकता है ;

(iv) वहनीय पेंशन स्कीम लाभ, यदि कोई हो, और ज्येष्ठता की सुरक्षा के साथ शिक्षकों की अंतर-विश्वविद्यालय गतिशीलता को प्रोत्साहित किया जा सकता है ।

स्पष्टीकरण—इस खंड के प्रयोजनों के लिए, "वहनीय पेंशन स्कीम" पद से, आने वाले शिक्षकों द्वारा पहले से ही अभिदत्त पेंशन स्कीम को जारी रखने या आगे बढ़ाने की योजना अभिप्रेत है ;

(v) सेमेस्टर प्रणाली, निरंतर मूल्यांकन और विकल्प आधारित ख्याति पद्धति को प्रविष्ट किया जाएगा और और विश्वविद्यालय ख्याति अंतरण तथा संयुक्त डिग्री कार्यक्रम के लिए अन्य विश्वविद्यालयों और अन्य शैक्षणिक संस्थाओं के साथ करार करेगा ।

स्पष्टीकरण—इस खंड के प्रयोजनों के लिए, "विकल्प आधारित ख्याति पद्धति" पद से, मानदंड आधारित ग्रेडिंग प्रणाली अभिप्रेत है, जो उच्च साझेदारी वाली परीक्षाओं के बजाय निरंतर और व्यापक मूल्यांकन के साथ प्रत्येक कार्यक्रम के लिए सीखने के लक्ष्यों के आधार पर छात्र की उपलब्धि का आकलन करती है ;

(vi) आवधिक पुनर्विलोकन और पुनर्संरचना के लिए उपबंध सहित अध्ययन के नए पाठ्यक्रमों और कार्यक्रमों के लिए अन्य विश्वविद्यालयों और अन्य शैक्षणिक संस्थाओं के साथ करार करेगा ;

(vii) विश्वविद्यालयों के सभी शैक्षणिक क्रियाकलापों, जिसके अंतर्गत शिक्षकों का मूल्यांकन भी है, छात्रों की सक्रिय भागीदारी को सुनिश्चित किया जाएगा ;

(viii) ख्यातिप्राप्त राष्ट्रीय निर्धारण और प्रत्यायन परिषद् या राष्ट्रीय स्तर पर किसी अन्य प्रत्यायन अभिकरण से प्रत्यायन अभिप्राप्त किया जाएगा, जैसा विश्वविद्यालय द्वारा अवधारित किया जाए ; और

(ix) एक प्रभावी प्रबंध सूचना प्रणाली के साथ गतिविधियों के प्रत्येक संभव क्षेत्र में ई-गवर्नेंस प्रारंभ किया जाएगा ।

विश्वविद्यालय का सभी वर्गों, जातियों और पंथों के लिए खुला होना ।

8. विश्वविद्यालय प्रत्येक लिंग, जाति, वंश, मूलवंश या वर्ग के सभी व्यक्तियों के लिए, खुला होगा और विश्वविद्यालय के लिए यह विधिपूर्ण नहीं होगा कि वह किसी व्यक्ति को विश्वविद्यालय में छात्र के रूप में प्रवेश पाने या विश्वविद्यालय में शिक्षक के रूप में नियुक्ति का हकदार बनाने या उसमें कोई अन्य पद धारण करने या विश्वविद्यालय में छात्र के रूप में प्रवेश लेने या स्नातक करने या उसके किसी अन्य विशेषाधिकार का उपभोग या प्रयोग करने के लिए किसी धार्मिक विश्वास या मान्यता संबंधी मानदंड अपनाएं या उन पर अधिरोपित करें :

परंतु विश्वविद्यालय, प्रवेश और नियोजन में आरक्षण के संबंध में केंद्रीय सरकार की नीति का अनुसरण करेगा ।

पुनर्विलोकन करने और निदेश जारी करने की केन्द्रीय सरकार की शक्ति ।

9. (1) केन्द्रीय सरकार, समय-समय पर, विश्वविद्यालय के कार्यों और प्रगति का निरीक्षण या पुनर्विलोकन करने के लिए एक या अधिक व्यक्तियों की नियुक्ति करेगी और इसके द्वारा अनुरक्षित इसकी इमारतों, पुस्तकालयों, प्रयोगशालाओं और उपस्करों, अन्य अवसंरचना सहित दूरस्थ परिसर और परीक्षाओं, अध्यापन और विश्वविद्यालय द्वारा संचालित या किए गए अन्य कार्य, और इस रिपोर्ट की प्राप्ति पर, केन्द्रीय सरकार ऐसी कार्रवाई करेगी और ऐसा निदेश जारी करेगी, जैसा वह आवश्यक समझे, जैसा कि इस रिपोर्ट में निपटाए गए किसी भी मामले के संबंध में आवश्यक समझे और विश्वविद्यालय ऐसी कार्रवाई का पालन करेगा और ऐसे निदेशों का पालन करने के लिए बाध्य होगा ।

(2) केन्द्रीय सरकार, इस धारा के पूर्वगामी उपबंधों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, लिखित आदेश द्वारा, विश्वविद्यालय की किसी ऐसी कार्यवाही को निष्प्रभावी कर सकेगी, जो इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन या इसके अधीन बनाए गए परिनियम या अध्यादेश से असंगत नहीं है ।

(3) विश्वविद्यालय, इस अधिनियम और इसके अधीन बनाए गए परिनियम के उपबंधों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, इस अधिनियम के अधीन अपनी सामान्य शक्तियों और कृत्यों को उन्मोचन करने के लिए, केन्द्रीय सरकार के ऐसे निदेशों द्वारा, जो उसे समय-समय पर लिखित में दिए जाएं, बाध्य होगा ।

(4) केन्द्रीय सरकार के पास विश्वविद्यालय के कार्यों के संबंध में ऐसी अन्य शक्तियां होंगी, जैसा परिनियम द्वारा उपबंधित की जाएं ।

कुलाधिपति ।

10. (1) केन्द्रीय सरकार, ऐसी राज्य सरकार के परामर्श से, जैसी वह ठीक समझे, अधिसूचना द्वारा, ख्यातिप्राप्त किसी व्यक्ति को विश्वविद्यालय के कुलाधिपति के रूप में नियुक्त कर सकेगी ।

(2) कुलाधिपति, पांच वर्ष की अवधि के लिए या सत्तर वर्ष की आयु प्राप्त करने

तक, इनमें से जो भी पहले हो, पद धारण करेगा :

परंतु कुलाधिपति उसकी पदावधि समाप्त हो जाने पर भी अपने पद पर तब तक बना रहेगा, जब तक उसका उत्तरवर्ती अपना पद ग्रहण नहीं कर लेता है ।

(3) कुलाधिपति की सेवा के निबंधन और अन्य शर्तें वे होंगी, जो परिनियमों द्वारा उपबंधित की जाएं ।

(4) कुलाधिपति, अपने पद के आधार पर, विश्वविद्यालय का प्रधान होगा और यदि वह उपस्थित है तो, डिग्रियां प्रदान करने के लिए आयोजित विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोहों और अन्य औपचारिक समारोह तथा शासी बोर्ड के अधिवेशनों मे पीठासीन होगा ।

(5) कुलाधिपति, ऐसी अन्य शक्तियों का प्रयोग और ऐसे अन्य कर्तव्यों का पालन करेगा, जो इस अधिनियम और उसके अधीन बनाए गए परिनियमों द्वारा उसे सौंपे जाएं ।

अध्याय 3

विश्वविद्यालय और इंस्टीट्यूट आफ रूरल मैनेजमेंट आणंद, स्कूल के अधिकारी

विश्वविद्यालय और इंस्टीट्यूट आफ रूरल मैनेजमेंट आणंद, स्कूल के अधिकारी ।

11. विश्वविद्यालय और इंस्टीट्यूट आफ रूरल मैनेजमेंट आणंद, स्कूल के अधिकारी के निम्नलिखित अधिकारी होंगे, अर्थात् :—

(क) कुलपति ;

(ख) निदेशक और इंस्टीट्यूट आफ रूरल मैनेजमेंट आणंद, स्कूल के पदेन संकायाध्यक्ष ;

(ग) संकायाध्यक्ष ;

(घ) कुल सचिव ;

(ड.) वित्त अधिकारी ;

(च) परीक्षा नियंत्रक ;

(छ) पुस्तकालयाध्यक्ष ; और

(ज) ऐसे अन्य अधिकारी, जो विश्वविद्यालय और इंस्टीट्यूट आफ रूरल मैनेजमेंट आणंद, स्कूल के अधिकारी होने के लिए अध्यादेशों द्वारा उपबंधित किए जाएं ।

कुलपति ।

12. (1) कुलपति, ऐसी पात्रता मानदंड रखने वाला व्यक्ति होगा और उसे केन्द्रीय सरकार द्वारा, ऐसी रीति से और सेवा के ऐसे निबंधन और शर्तों के अधीन नियुक्त किया जाएगा, जैसा परिनियमों द्वारा उपबंधित किया जाएं :

परंतु प्रथम कुलपति की नियुक्ति, केन्द्रीय सरकार द्वारा, ऐसी रीति से और ऐसे निबंधन और शर्तों के अधीन की जाएगी, जैसा उसके द्वारा अवधारित किया जा सके और उक्त अधिकारी तीन वर्ष की अवधि के लिए पद धारण करेगा तथा दो वर्ष के अतिरिक्त कार्यकाल के लिए पुन:नियुक्ति किए जाने का पात्र होगा ।

(2) कुलपति, विश्वविद्यालय का प्रमुख कार्यकारी और शैक्षणिक अधिकारी होगा

और वह विश्वविद्यालय के अन्य अधिकारियों पर साधारण पर्यवेक्षण और नियंत्रण रखेगा ।

(3) यदि कुलपति की यह राय है कि किसी मामले में तुरंत कार्रवाई आवश्यक है तो वह इस अधिनियम के अधीन या उसके द्वारा विश्वविद्यालय या शासी बोर्ड के सिवाय किसी प्राधिकरण को प्रदत्त किसी शक्ति का प्रयोग कर सकेगा और अगली बैठक में उस मामले में अपने द्वारा की गई कार्रवाई के बारे में उस प्राधिकरण को सूचित करेगा ।

(4) यदि कुलपति की यह राय है कि विश्वविद्यालय के कुलपति या शासी बोर्ड के अतिरिक्त किसी भी अधिकारी या प्राधिकरण द्वारा लिया गया कोई भी निर्णय इस अधिनियम के उपबंधों या परिनियमों या इसके अधीन बनाए गए अध्यादेशों के अधीन ऐसे अधिकारी या प्राधिकरण की शक्तियों से परे है या अधिकारी या प्राधिकरण द्वारा लिया गया कोई निर्णय विश्वविद्यालय के उद्देश्यों के अनुसार नहीं है, तो उसे ऐसे निर्णयों को रद्द करने तथा उचित निदेश जारी करने की शक्ति होगी और ऐसे सभी मामले सूचना के लिए शासी बोर्ड के समक्ष रखे जाएंगे ।

(5) कुलपति, ऐसी अन्य शक्तियों का प्रयोग और ऐसे अन्य कर्तव्यों का पालन करेगा, जो परिनियमों द्वारा उपबंधित किए जाएं ।

कुलसचिव ।

13. (1) कुलसचिव की नियुक्ति, केन्द्रीय सरकार द्वारा, ऐसी रीति से और सेवा के ऐसे निबंधन और शर्तों पर की जाएगी, जो परिनियमों द्वारा विहित किए जाएं :

परंतु प्रथम कुलसचिव की नियुक्ति, केन्द्रीय सरकार द्वारा, ऐसी रीति से और ऐसी शर्तों के अधीन की जाएगी, जैसा उसके द्वारा अवधारित किया जाए और उक्त अधिकारी तीन वर्ष की अवधि के लिए पद धारण करेगा तथा दो वर्ष के अतिरिक्त कार्यकाल के लिए पुन:नियुक्त किए जाने का पात्र होगा ।

(2) कुलसचिव को विश्वविद्यालय की ओर से करार करने, दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करने और अभिलेखों को अधिप्रमाणित करने की शक्ति होगी और वह ऐसी अन्य शक्तियों का प्रयोग और ऐसे अन्य कर्तव्यों का पालन करेगा, जो परिनियमों द्वारा विहित किए जाएं ।

वित अधिकारी ।

14. वित अधिकारी की नियुक्ति, केन्द्रीय सरकार द्वारा, ऐसी रीति में और सेवा के ऐसे निबंधनों और शर्तों पर की जाएगी और वह ऐसी शक्तियों का प्रयोग तथा ऐसे कर्तव्यों का पालन करेगा, जो परिनियमों द्वारा विहित किए जाएं :

परंतु प्रथम वित अधिकारी की नियुक्ति, केन्द्रीय सरकार द्वारा, ऐसी रीति से और ऐसी शर्तों के अधीन की जाएगी, जैसा उसके द्वारा अवधारित किया जाए और उक्त अधिकारी तीन वर्ष की अवधि के लिए पद धारण करेगा तथा दो वर्ष के अतिरिक्त कार्यकाल के लिए पुन:नियुक्त किए जाने का पात्र होगा ।

इंस्टीट्यूट आफ रूरल मैनेजमेंट आणंद, स्कूल का निदेशक ।

15. (1) इंस्टीट्यूट आफ रूरल मैनेजमेंट आणंद, स्कूल का एक निदेशक और अधिष्ठाता होगा जो उस स्कूल के लिए प्रधान शैक्षणिक और प्राशासनिक अधिकारी होगा, और वह उस स्कूल के सभी कर्मचारियों के ऊपर पर्यवेक्षण और नियंत्रण रखेगा ।

(2) निदेशक की नियुक्ति ऐसी रीति से, और ऐसे निबंधन तथा शर्तों पर की जाएगी एवं वह ऐसी शक्तियों का प्रयोग तथा ऐसे कर्तव्यों का पालन करेगा जैसा अध्यादेश

द्वारा उपबंधित किया जाए ।

संकायाध्यक्ष ।

16. (1) विश्वविद्यालय के प्रत्येक स्कूल का प्रमुख संकायाध्यक्ष होगा, जो उस स्कूल का प्रधान, शैक्षणिक और प्रशासनिक अधिकारी होगा, और वह उस स्कूल के सभी कर्मचारियों पर पर्यवेक्षण और नियंत्रण रखेगा ।

(2) संकायाध्यक्ष की नियुक्ति कार्यकारी परिषद् द्वारा ऐसी रीति में और ऐसे निबंधनों और शर्तों पर की जाएगी और वह ऐसी शक्तियों का प्रयोग तथा ऐसे कर्तव्यों का पालन करेगा, जो अध्यादेश द्वारा उपबंधित किए जाएं ।

परीक्षा नियंत्रक ।

17. परीक्षा नियंत्रक की नियुक्ति, ऐसी रीति में और ऐसे निबंधनों और शर्तों पर की जाएगी और वह ऐसी शक्तियों का प्रयोग तथा ऐसे कर्तव्यों का पालन करेगा, जो अध्यादेशों द्वारा उपबंधित किए जाएं ।

पुस्तकालयाध्यक्ष ।

18. पुस्तकालयाध्यक्ष की नियुक्ति, ऐसी रीति से और ऐसे निबंधनों और शर्तों पर की जाएगी और वह ऐसी शक्तियों का प्रयोग तथा ऐसे कर्तव्यों का पालन करेगा, जो अध्यादेशों द्वारा उपबंधित किए जाएं ।

अन्य अधिकारी ।

19. (1) धारा 11 के खंड (क) से खंड (छ) में निर्दिष्ट अधिकारियों के अतिरिक्त, विश्वविद्यालय में ऐसे अन्य अधिकारी होंगे, जो अध्यादेशों द्वारा उपबंधित किए जाएं ।

(2) विश्वविद्यालय के अन्य अधिकारियों की नियुक्ति की रीति, सेवा के निबंधन और शर्तें तथा शक्तियां और कर्तव्य ऐसे होंगे, जो अध्यादेशों द्वारा उपबंधित किए जाएं ।

अध्याय 4

विश्वविद्यालय और इंस्टीट्यूट आफ रूरल मैनेजमेंट आणंद, स्कूल के प्राधिकरण

विश्वविद्यालय और इंस्टीट्यूट आफ रूरल मैनेजमेंट आणंद, स्कूल के प्राधिकरण ।

20. विश्वविद्यालय और इंस्टीट्यूट आफ रूरल मैनेजमेंट आणंद, स्कूल के निम्नलिखित प्राधिकरण होंगे, अर्थात् :—

(क) शासी बोर्ड ;

(ख) कार्य परिषद् ;

(ग) शैक्षणिक और अनुसंधान परिषद् ;

(घ) कार्यकारी बोर्ड ;

(ङ) क्षमता निर्माण परिषद् ;

(च) निर्धारण और अभिवृद्धि परिषद् ;

(छ) अनुसंधान और विकास परिषद् ;

(ज) संबद्धता और मान्यता बोर्ड ;

(झ) वित्त समिति ;

(ञ) सहकारी अध्ययन बोर्ड ; और

(ट) ऐसे अन्य प्राधिकरण, जो अध्यादेशों द्वारा विश्वविद्यालय और इंस्टीट्यूट आफ रूरल मैनेजमेंट आणंद, स्कूल के प्राधिकरण होने के लिए उपबंधित किए जाएं ।

21. (1) कुलपति, शासी बोर्ड का अध्यक्ष होगा । शासी बोर्ड ।

(2) शासी बोर्ड, अध्यक्ष के अतिरिक्त, निम्नलिखित सदस्यों से मिलकर बनेगा, जो केंद्रीय सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट किए जाएंगे, अर्थात् :—

(क) कुलपति – सदस्य, पदेन;

(ख) सचिव, सहकारिता मंत्रालय – सदस्य, पदेन ;

(ग) सहकारिता के महत्वपूर्ण क्षेत्रों से संबंधित केन्द्रीय मंत्रालयों या विभागों के चार सचिव – सदस्य, पदेन ;

(घ) राज्यों या संघ राज्यक्षेत्रों के सहकारिता विभाग के चार प्रधान सचिव या सचिव, चक्रानुक्रम द्वारा – सदस्य, पदेन ;

(ङ) प्रबंध निदेशक, राष्ट्रीय सहकारिता विकास निगम – सदस्य, पदेन ;

(च) अध्यक्ष, राष्ट्रीय दुग्ध विकास बोर्ड – सदस्य, पदेन ;

(छ) मुख्य कार्यकारी, राष्ट्र मत्स्य विकास बोर्ड – सदस्य, पदेन ;

(ज) अध्यक्ष, राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक – सदस्य, पदेन ;

(झ) राष्ट्रीय सहकारी सोसाइटियों के चार अध्यक्ष, चक्रानुक्रम में – सदस्य, पदेन ;

(ञ) अध्यक्ष, इंस्टीट्यूट आफ रूरल मैनेजमेंट आणंद, स्कूल – सदस्य, पदेन ;

(ट) विश्वविद्यालय द्वारा स्थापित विद्यालयों और विभागों के चार संकायाध्यक्ष, चक्रानुक्रम में – सदस्य, पदेन ;

(ठ) विश्वविद्यालय से संबद्ध संस्थानों के दो निदेशक, चक्रानुक्रम से – सदस्य, पदेन ;

(ड) चार आचार्य, जो क्रमश: शैक्षणिक और अनुसंधान परिषद्, क्षमता निर्माण परिषद्, मूल्यांकन और सुधार परिषद् तथा अनुसंधान एवं विकास परिषद् के सदस्य हैं, चक्रानुक्रम द्वारा – सदस्य, पदेन ;

(ढ) विश्वविद्यालय के वित्त अधिकारी – सदस्य, पदेन ;

(ण) अध्यक्ष, पूर्व छात्र संगम – सदस्य, पदेन ;

(त) सहकारिता के क्षेत्र में चार प्रतिष्ठित व्यक्ति – सदस्य ;

(थ) भारतीय रिजर्व बैंक का प्रतिनिधि, जो कार्यकारी निदेशक की श्रेणी से नीचे का नहीं हो – सदस्य, पदेन ; और

(द) कुल सचिव – सदस्य-सचिव, पदेन ।

(3) पदेन सदस्यों से भिन्न, नामनिर्दिष्ट सदस्यों की पदावधि उनके नामांकन की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए होगी :

परंतु पदेन सदस्य की पदावधि तब तक रहेगी, जब तक वह उस पद को धारित करता है, जिसके परिणामस्वरूप वह सदस्य है ।

(4) इस अधिनियम और उसके अधीन बनाए गए परिनियमों के उपबंधों के अधीन रहते हुए, शासी बोर्ड निम्नलिखित शक्तियों का प्रयोग और कृत्यों का पालन करेगा, अर्थात् :—

(क) विश्वविद्यालय की व्यापक नीतियों और कार्यक्रमों का समय-समय पर पुनर्विलोकन करना तथा विश्वविद्यालय के सुधार और विकास के लिए उपाय सुझाना ;

(ख) विश्वविद्यालय की वार्षिक रिपोर्ट और वार्षिक लेखाओं पर तथा ऐसे लेखाओं की संपरीक्षा रिपोर्ट पर विचार करना और संकल्प पारित करना ;

(ग) शैक्षणिक और अनुसंधान परिषद्, क्षमता निर्माण परिषद्, मूल्यांकन और सुधार परिषद्, अनुसंधान और विकास परिषद् तथा संबद्धता और मान्यता बोर्ड के सदस्यों को नामांकित करना ; और

(घ) ऐसी अन्य शक्तियों और कृत्यों का पालन करना, जो परिनियमों द्वारा उपबंधित किए जाएं ।

कार्यकारी परिषद् ।

22. (1) कुलपति, कार्यकारी परिषद्, जो विश्वविद्यालय का प्रधान कार्यकारी निकाय होगा, का पदेन अध्यक्ष होगा और धारा 20 के खंड (ग) से खंड (ट) में निर्दिष्ट विश्वविद्यालय के सभी प्राधिकरणों पर पर्यवेक्षण और नियंत्रण करेगा ।

(2) कार्यकारी परिषद् का गठन, इसके सदस्यों की पदावधि और इसकी शक्तियां और इसके कृत्य ऐसे होंगे, जो परिनियमों द्वारा उपबंधित किए जाएं ।

शैक्षणिक और अनुसंधान परिषद् ।

23. (1) कुलपति, शैक्षणिक और अनुसंधान परिषद् का पदेन अध्यक्ष होगा, जो विश्वविद्यालय के शैक्षणिक और अनुसंधान निकाय का प्रधान होगा और वह इस अधिनियम, परिनियम और इसके अधीन बनाए गए अध्यादेशों के उपबंधों के अधीन होगा, विश्वविद्यालय की शैक्षणिक और अनुसंधान नीतियों पर समन्वय और साधारण पर्यवेक्षण करेगा ।

(2) शैक्षणिक और अनुसंधान परिषद् का गठन, उसके सदस्यों की पदावधि और उसकी शक्तियां और उसके कृत्य वे होंगे, जो अध्यादेशों द्वारा उपबंधित किए जाएं ।

इंस्टीट्यूट आफ रूरल मैनेजमेंट आणंद, स्कूल का कार्यकारी बोर्ड ।

24. (1) इस अधिनियम तथा इसके अधीन बनाए गए परिनियमों के उपबंधों के अधीन रहते हुए, इंस्टीट्यूट आफ रूरल मैनेजमेंट आणंद, स्कूल का एक कार्यकारी बोर्ड होगा जो ऐसे स्कूल का समन्वय करेगा तथा उस पर सामान्य पर्यवेक्षण करेगा ।

(2) कार्यकारी बोर्ड का गठन, उसके अध्यक्ष का चयन, उसके अध्यक्ष और सदस्यों की पदावधि तथा उसकी शक्तियां और कृत्य ऐसे होंगे जैसे कि परिनियमों द्वारा उपबंधित किया जाएगा ।

क्षमता निर्माण परिषद् ।

25. (1) कुलपति, क्षमता निर्माण परिषद् का पदेन अध्यक्ष होगा, जो क्षमता निर्माण कार्यक्रमों के लिए विश्वविद्यालय का प्रधान निकाय होगा और वह इस अधिनियम, परिनियम और इसके अधीन बनाए गए अध्यादेशों के उपबंधों के अधीन होगा, विश्वविद्यालय की शैक्षणिक और अनुसंधान नीतियों पर समन्वय और साधारण पर्यवेक्षण करेगा ।

(2) क्षमता निर्माण परिषद् का गठन, उसके सदस्यों की पदावधि और उसकी शक्तियां और उसके कृत्य वे होंगे, जो अध्यादेशों द्वारा उपबंधित किए जाएं ।

निर्धारण और विकास परिषद् ।

26. (1) कुलपति, निर्धारण और विकास परिषद् का पदेन अध्यक्ष होगा, जो निर्धारण और विकास के सभी कार्यक्रमों के लिए विश्वविद्यालय का प्रधान निकाय होगा और वह इस अधिनियम, परिनियम और इसके अधीन बनाए गए अध्यादेशों के उपबंधों के अधीन होगा, ऐसे कार्यक्रमों के निर्धारण और विकास से संबंधित मामलों पर समन्वय और साधारण पर्यवेक्षण का प्रयोग करेगा ।

(2) निर्धारण और विकास परिषद् का गठन, उसके सदस्यों की पदावधि और उसकी शक्तियां और उसके कृत्य वे होंगे, जो अध्यादेशों द्वारा उपबंधित किए जाएं ।

अनुसंधान और विकास परिषद् ।

27. (1) कुलपति, अनुसंधान और विकास परिषद् का पदेन अध्यक्ष होगा, जो सहकारियों से संबंधित सभी क्षेत्रों में अनुसंधान और विकास क्रियाकलाप को करने और अभिवृद्धि के लिए विश्वविद्यालय का प्रधान निकाय होगा और वह इस अधिनियम, परिनियम और इसके अधीन बनाए गए अध्यादेशों के उपबंधों के अधीन होगा, अनुसंधान और विकास से संबंधित मामलों पर समन्वय और साधारण पर्यवेक्षण का प्रयोग करेगा ।

(2) अनुसंधान और विकास परिषद् का गठन, उसके सदस्यों की पदावधि और उसकी शक्तियां और उसके कृत्य वे होंगे, जो अध्यादेशों द्वारा उपबंधित किए जाएं ।

संबद्धता और मान्यता बोर्ड ।

28. (1) कुलपति, संबद्धता और मान्यता बोर्ड का पदेन अध्यक्ष होगा, जो संस्थानों को विश्वविद्यालय के विशेषाधिकारों के लिए प्रवेश या संबद्धता स्वीकार करने के लिए जिम्मेदार होगा ।

(2) संबद्धता और मान्यता बोर्ड का गठन, उसके सदस्यों की पदावधि और उसकी शक्तियां और उसके कृत्य वे होंगे, जो अध्यादेशों द्वारा उपबंधित किए जाएं ।

वित्त समिति ।

29. (1) कुलपति, वित्त समिति का पदेन अध्यक्ष होगा ।

(2) वित्त समिति का गठन, उसके सदस्यों की पदावधि और उसकी शक्तियां और उसके कृत्य वे होंगे, जो अध्यादेशों द्वारा उपबंधित किए जाएं ।

सहकारी अध्ययन बोर्ड ।

30. (1) प्रत्येक स्कूल का सहकारी अध्ययन बोर्ड होगा ।

(2) सहकारी अध्ययन बोर्ड का गठन, उसके सदस्यों की पदावधि और उनकी शक्तियां और उसके कृत्य वे होंगे, जो अध्यादेशों द्वारा उपबंधित किए जाएं ।

(3) सहकारी अध्ययन बोर्ड में पांच से अनधिक ऐसी संख्या में समितियां होंगी, जिनमें से तीन समितियां शामिल होंगी, जिनमें क्रमश: डिग्री, डिप्लोमा और प्रमाणपत्र की धाराओं से संबंधित विशेषज्ञ शामिल होंगे ।

(4) उपधारा (3) में निर्दिष्ट समितियों का गठन, उनकी शक्तियां और उनके कृत्य वे होंगे, जो अध्यादेशों द्वारा उपबंधित किए जाएं ।

विश्वविद्यालय के अन्य प्राधिकरण ।

31. धारा 20 के खंड (ट) में निर्दिष्ट विश्वविद्यालय के अन्य प्राधिकरणों की नियुक्ति की रीति, निबंधन और शर्तें, उनकी शक्तियां और उनके कृत्य वे होंगे, जो अध्यादेशों द्वारा उपबंधित किए जाएं ।

प्राधिकरणों की बैठकें ।

32. (1) शासी बोर्ड और कार्यकारी परिषद् के सिवाय, प्राधिकरण, ऐसे स्थान और समय पर बैठक करेंगे और अपनी बैठकों में (गणपूर्ति सहित) कारबार के संव्यवहार के संबंध में प्रक्रिया के ऐसे नियमों का अनुसरण करेंगे, जो अध्यादेशों द्वारा उपबंधित किए जाएं ।

(2) यदि किसी प्राधिकरण का अध्यक्ष, किसी कारण से ऐसे प्राधिकरण की बैठक में भाग लेने में असमर्थ है, तो बोर्ड में उपस्थित सदस्यों द्वारा चुना गया कोई अन्य सदस्य बैठक की अध्यक्षता करेगा ।

अध्याय 5

परिनियम, अध्यादेश और विनियम

परिनियम ।

33. इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन रहते हुए, परिनियमों में निम्नलिखित सभी या किन्हीं विषयों के लिए उपबंध किया जा सकेगा, अर्थात् :—

(क) शासी बोर्ड, कार्यकारी परिषद् और कार्यकारी निकाय का गठन, जैसा कि समय-समय पर गठित किए जाएं, उनकी शक्तियां और उनके कृत्य ;

(ख) शासी बोर्ड, कार्यकारी परिषद् और कार्यकारी बोर्ड के सदस्यों की नियुक्ति और उनका पद पर बने रहना, सदस्यों की रिक्तियों का भरना तथा उन प्राधिकरणों से संबंधित अन्य सभी विषय ;

(ग) इस अधिनियम के अधीन घोषित इंस्टीट्यूट आफ रूरल मैनेजमेंट आणंद, स्कूल की नामपद्धति ;

(घ) विश्वविद्यालय या अन्य केन्द्रीय विश्वविद्यालय या संबंधित केन्द्रीय सरकार के विभागों से परामर्श करके केन्द्रीय वित्तपोषित तकनीकी संस्थानों में शिक्षकों के स्थानान्तरण से संबंधित किसी भी उपबंध के अधीन धारा 7 की उपधारा (3) के खंड (iv) से संबंधित निबंधन और शर्तें ;

(ङ.) ऐसे सभी अन्य विषय, जो इस अधिनियम के अनुसार परिनियमों द्वारा उपबंधित किए जाने हैं या किए जा सकेंगे ।

परिनियम बनाने की शक्ति ।

34. (1) प्रथम परिनियम, जो दूसरी अनुसूची में विनिर्दिष्ट है नए परिनियम द्वारा अधिक्रांत किए जाने तक वे बने रहेंगे ।

(2) नए या अतिरिक्त परिनियम, केन्द्रीय सरकार द्वारा या तो स्वत: या कार्यकारी परिषद् की सिफारिश पर, किसी भी समय और जैसा उचित समझा जाए, बनाए जा सकेंगे ।

अध्यादेश ।

35. इस अधिनियम और उसके अधीन बनाए गए परिनियमों के उपबंधों के अधीन रहते हुए, अध्यादेशों में निम्नलिखित सभी या किन्हीं विषयों के लिए उपबंध किया जा सकेगा, अर्थात् :—

(क) शासी बोर्ड, कार्यकारी परिषद् और कार्यकारी बोर्ड के सिवाय, सभी प्राधिकरण, जो समय-समय पर गठित किए जाएं, का गठन, उनकी शक्तियां और उनके कृत्य ;

(ख) उक्त प्राधिकरणों और अन्य निकायों के सदस्यों के कार्यालय में नियुक्ति

और बने रहना, सदस्यों की रिक्तियों का भरना तथा उन प्राधिकरणों और अन्य निकायों से संबंधित अन्य सभी विषय, जिनके लिए उपबंध करना आवश्यक या वांछनीय हो सकता है ;

(ग) कुलपति, कुल सचिव और वित्त अधिकारी के सिवाय विश्वविद्यालय और इंस्टीट्यूट आफ रूरल मैनेजमेंट, आणंद स्कूल के अधिकारियों की नियुक्ति, शक्तियां और कर्तव्य, परिलब्धियां और सेवा के निबंधन और शर्तें ;

(घ) विश्वविद्यालय और इंस्टीट्यूट आफ रूरल मैनेजमेंट, आणंद स्कूल के शिक्षकों, अकादमिक कर्मचारिवृंद और अन्य कर्मचारियों की नियुक्ति, उनकी परिलब्धियां और उनकी सेवा के निबंधन और शर्तें ;

(ङ) संयुक्त परियोजना चलाने के लिए विनिर्दिष्ट अवधि हेतु किसी अन्य विश्वविद्यालय या संगठन में कार्यरत शिक्षकों और अकादमिक कर्मचारिवृंद की नियुक्ति ;

(च) कर्मचारियों की सेवा के निबंधन और शर्तें, जिसके अंतर्गत पेंशन, बीमा, भविष्य-निधि, सेवा समाप्त करने की रीति और अनुशासनात्मक कार्रवाई भी है ;

(छ) विश्वविद्यालय के कर्मचारियों की सेवा की वरिष्ठता शासित करने वाले सिद्धांत ;

(ज) कर्मचारियों या छात्रों और विश्वविद्यालय के बीच विवादों के मामले में माध्यस्थम् के लिए प्रक्रिया ;

(झ) विश्वविद्यालय के किसी अधिकारी या प्राधिकारी की कार्रवाई के विरुद्ध किसी कर्मचारी या छात्र द्वारा कार्यकारी परिषद् को अपील करने की प्रक्रिया ;

(ञ) संस्थानों को सहबद्धता प्रदान करना ;

(ट) विद्यालयों, विभागों और छात्रावासों की स्थापना और उन्हें बंद करना ;

(ठ) मानद डिग्री प्रदान करना ;

(ड) डिग्री, डिप्लोमा, प्रमाणपत्र और अन्य अकादमिक योग्यताओं को प्रदान करना और उन्हें वापिस लेना ;

(ढ) विश्वविद्यालय द्वारा स्थापित और अनुरक्षित स्कूलों का प्रबंधन ;

(ण) विश्वविद्यालय और इंस्टीट्यूट आफ रूरल मैनेजमेंट, आणंद स्कूल के प्राधिकारियों या अधिकारियों में निहित शक्तियों का प्रत्यायोजन ;

(त) कर्मचारियों और छात्रों के बीच अनुशासन बनाए रखना ;

(थ) विश्वविद्यालय में छात्रों का प्रवेश और उनका इस रूप में नामांकन ;

(द) विश्वविद्यालय के अध्ययन के पाठ्यक्रम और सभी डिग्रियों, डिप्लोमा और प्रमाणपत्रों के लिए उनकी अवधि अधिकथित करना ;

(ध) शिक्षण और परीक्षा का माध्यम ;

(न) डिग्री, डिप्लोमा, प्रमाणपत्र और अन्य अकादमिक योग्यताएं प्रदान करना, उनके लिए अर्हताएं तथा उन्हें प्रदत्त करने और प्राप्त करने के संबंध में किए जाने

वाले उपाय ;

(प) विश्वविद्यालय में अध्ययन के पाठ्यक्रम के लिए तथा विश्वविद्यालय की परीक्षाओं, डिग्रियों और डिप्लोमा में प्रवेश के लिए प्रभारित की जाने वाली फीस ;

(फ) शिक्षावृत्ति, अध्येतावृत्ति, छात्रवृत्ति, मेडल और पुरस्कारों को प्रदान करने के लिए शर्तें ;

(ब) परीक्षाओं का संचालन, जिसके अंतर्गत परीक्षा करवाने वाले निकायों, परीक्षकों और जांचकर्ताओं की पदावधि और नियुक्ति की रीति तथा कर्तव्य भी हैं ;

(भ) विश्वविद्यालय के छात्रों के निवास की शर्तें ;

(म) विशेष व्यवस्थाएं, यदि कोई हों, जो महिला छात्राओं के निवास और अध्यापन के लिए की जा सके तथा उनके लिए अध्ययन के विशेष पाठ्यक्रम विहित करना ;

(य) अध्ययन केन्द्र, अध्ययन बोर्ड तथा अन्य समितियों की स्थापना ;

(यक) अन्य विश्वविद्यालयों, संस्थाओं तथा अन्य संगठनों, जिसके अंतर्गत उद्योग भी है, के साथ सहकारिता और समन्वय की रीति ;

(यख) किसी अन्य निकाय का सृजन, उसकी संरचना और कृत्य, जो विश्वविद्यालय के अकादमिक जीवन में सुधार के लिए आवश्यक समझा जाए ;

(यग) कर्मचारियों और छात्रों की शिकायतों के निवारण के लिए मशीनरी की गठन ;

(यघ) कोई अन्य विषय, जो इस अधिनियम या इसके अधीन बनाए गए परिनियमों द्वारा या अध्यादेशों द्वारा उपबंधित किया जाए ।

अध्यादेश बनाने की शक्ति ।

36. (1) प्रथम अध्यादेश कुलपति द्वारा बनाए जाएंगे और इस प्रकार बनाए गए अध्यादेश कार्यकारी परिषद् द्वारा किसी भी समय संशोधित या निरसित किए जा सकेंगे ।

(2) उपधारा (1) में अन्यथा उपबंधित के सिवाय, कार्यकारी परिषद् स्वप्रेरणा से या धारा 20 के खंड (ग) से खंड (ट) में निर्दिष्ट विश्वविद्यालय के संबंधित प्राधिकारी की सिफारिश पर अध्यादेशों को बनाएगी, जैसा ऐसी कार्यकारी परिषद् द्वारा विनिश्चित किया जाए ।

(3) उपधारा (1) और उपधारा (2) के अधीन इस प्रकार बनाया गया प्रत्येक अध्यादेश, इस बनाए जाने के पश्चात् यथाशीघ्र, केन्द्रीय सरकार को सूचना के लिए प्रस्तुत किया जाएगा ।

विनियम ।

37. धारा 20 के अधीन कोई प्राधिकारी इसके स्वयं के कार्य संचालन के लिए इस अधिनियम, इसके अधीन बनाए गए परिनियमों तथा अध्यादेशों के उपबंधों से संगत विनियम बना सकेगा तथा इस प्रकार बनाया गया प्रत्येक विनियम बनाए जाने के पश्चात् यथाशीघ्र सूचना के लिए कार्यकारी परिषद् को प्रस्तुत किया जाएगा ।

अध्याय 6

लेखा और संपरीक्षा

वार्षिक रिपोर्ट ।

38. (1) विश्वविद्यालय की वार्षिक रिपोर्ट कार्यकारी परिषद् के निदेशों के अधीन तैयार की जाएगी जिसमें अन्य विषयों के साथ विश्वविद्यालय द्वारा इसके उद्देश्यों को पूर्ण करने की ओर उठाए गए कदम सम्मिलित होंगे तथा इसे वित्तीय वर्ष की समाप्ति से छह मास के भीतर कार्यकारी परिषद् के अनुमोदन के पश्चात् शासी बोर्ड को प्रस्तुत किया जाएगा तथा शासी बोर्ड अपनी वार्षिक बैठक में रिपोर्ट पर विचार करेगा ।

(2) शासी बोर्ड अपनी टिप्पणियों, यदि कोई हों, के साथ केन्द्रीय सरकार को वित्तीय वर्ष की समाप्ति से नौ मास की समाप्ति पर या उसके पूर्व वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा ।

(3) केन्द्रीय सरकार इसे प्राप्त करने के पश्चात् यथाशीघ्र वार्षिक रिपोर्ट को संसद् के प्रत्येक सदन के समक्ष रखवाएगी ।

वार्षिक लेखे ।

39. (1) विश्वविद्यालय उचित लेखे और अन्य सुसंगत अभिलेख रखेगा तथा ऐसे प्ररूप और लेखा मानक में जो उसके द्वारा भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के परामर्श से उपबंधित किया जाए, वार्षिक लेखा विवरण तैयार करेगा, जिसके अंतर्गत तुलनपत्र भी है ।

(2) विश्वविद्यालय के लेखे भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा संपरीक्षित किए जाएंगे तथा ऐसी संपरीक्षा के संबंध में इसके द्वारा उपगत कोई व्यय विश्वविद्यालय द्वारा भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक को संदेय होगा ।

(3) भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक तथा विश्वविद्यालय के लेखाओं की संपरीक्षा के संबंध में उसके द्वारा नियुक्त किसी व्यक्ति को वही अधिकार, विशेषाधिकार तथा प्राधिकार ऐसी संपरीक्षा के संबंध में होंगे, जो भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक सरकारी लेखाओं की संपरीक्षा के संबंध में रखते है तथा विशेषकर उसे बहियों, लेखाओं, संबंधित वाउचरों और अन्य दस्तावेजों तथा कागजों को प्रस्तुत करने की मांग करने का तथा विश्वविद्यालय के कार्यालयों के निरीक्षण का अधिकार होगा ।

(4) भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक या उसके द्वारा इस निमित्त नियुक्ति कोई अन्य व्यक्ति द्वारा यथाप्रमाणित विश्वविद्यालय के लेखे उन पर संपरीक्षा रिपोर्ट के साथ वार्षिक रूप से केन्द्रीय सरकार को वित्तीय वर्ष की समाप्ति से नौ मास की समाप्ति पर या उसके पूर्व अग्रेषित की जाएगी तथा सरकार उसे संसद् के प्रत्येक सदन के समक्ष रखवाएगी ।

विश्वविद्यालय की निधि ।

40. (1) विश्वविद्यालय की एक निधि होगी जिसके अंतर्गत निम्नलिखित होगा,—

(क) केन्द्रीय सरकार द्वारा किया गया कोई अभिदाय या अनुदान ;

2002 का 39

(ख) बहु-राज्य सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 2002 या राज्यों अथवा संघ राज्यक्षेत्रों के सहकारी सोसाइटी अधिनियमों के अधीन अनुरक्षित सहकारी शिक्षा निधि से अनुदान ;

(ग) केन्द्रीय सरकार द्वारा सहकारी प्रशिक्षण सेटअप के लिए समग्र निधि से अनुदान ;

(घ) राज्य सरकार द्वारा किया गया कोई अभिदाय या अनुदान ;

(ङ) सरकारी, अर्धशासकीय या स्वायत्त निकायों द्वारा किया गया कोई अभिदाय ;

(च) कोई उपहार, वसीयत, संदान, विन्यास या अन्य अनुदान ;

(छ) फीस और प्रभारों से विश्वविद्यालय द्वारा प्राप्त की गई कोई आय ;

(ज) परियोजनाओं को चलाने तथा परामर्शी सेवाओं से विश्वविद्यालय द्वारा प्राप्त आय ;

(झ) विश्वविद्यालय द्वारा विश्वविद्यालय और समन्वय उद्योग, सहकारी सोसाइटी, फेडरेशन, संघ या अन्य संगठन के बीच समझौता ज्ञापन के उपबंधों के निबंधनों में ऐसे समन्वय उद्योगों, सहकारी सोसाइटियों, फेडरेशनों, संघों तथा अन्य संगठनों से विश्वविद्यालय द्वारा प्राप्त धन ; और

(ञ) किसी अन्य स्त्रोत से प्राप्त धन परंतु विदेशी स्त्रोतों से किसी भी वित पोषण के लिए केन्द्रीय सरकार से पूर्व अनुमोदन अपेक्षित होगा ।

(2) विश्वविद्यालय की सभी निधियां ऐसे बैंकों में जमा की जाएंगी या ऐसी रीति में विनिधान की जाएंगी जैसा वित्त समिति की सिफारिश पर कार्यकारी परिषद् विनिश्चित करे ।

(3) विश्वविद्यालय की निधियों को विश्वविद्यालय के व्ययों को पूरा करने के लिए अनुप्रयोग किया जाएगा जिसके अंतर्गत इस अधिनियम द्वारा या इसके अधीन इसकी शक्तियों के प्रयोग या इसके कृत्यों के निर्वहन में उपगत व्यय भी सम्मिलित है ।

(4) विश्वविद्यालय सभी समयों पर अपने व्ययों को पूरा करने के लिए आत्मनिर्भर होने का प्रयास करेगा तथा नए पाठ्यक्रम या कार्यक्रम आरंभ करते समय, नए स्कूल या नए अवसंरचना स्थापित करते समय, नए पदों का सृजन या उन्हें भरते समय, आवर्ती या अनावर्ती व्ययों को उपगत करते समय तथा किसी अन्य वितीय दायित्व का सृजन करते समय उन वितीय संसाधनों का ध्यान रखेगा जो विश्वविद्यालय के पास या तो उपलब्ध है या पणधारियों से संबंधित है या कोई अन्य स्त्रोत ।

अध्याय 7

प्रकीर्ण

कर्मचारियों, आदि की सेवा की शर्तें ।

41. (1) विश्वविद्यालय का प्रत्येक कर्मचारी लिखित संविदा के अधीन नियुक्त किया जाएगा जो विश्वविद्यालय के पास जमा होगी तथा जिसकी एक प्रति संबंधित कर्मचारी को दी जाएगी ।

(2) विश्वविद्यालय तथा किसी कर्मचारी के बीच संविदा से उद्भूत होने वाला कोई विवाद, कर्मचारी के अनुरोध पर विवाद समाधान निकाय को निर्दिष्ट किया जाएगा जो कार्यकारी परिषद् द्वारा नियुक्त एक सदस्य, संबंधित कर्मचारी द्वारा नामित एक सदस्य तथा कार्यकारी परिषद् द्वारा नियुक्त किया जाने वाला विश्वविद्यालय के बाहर से एक स्वतंत्र सदस्य, से मिलकर बनेगा ।

(3) विवाद समाधान निकाय का विनिश्चय अंतिम होगा तथा विवाद समाधान निकाय द्वारा विनिश्चित मामले के संबंध में किसी सिविल न्यायालय में कोई वाद नहीं किया जाएगा ।

(4) उपधारा (2) के अधीन कर्मचारी द्वारा किया गया प्रत्येक अनुरोध माध्यस्थम् और सुलह अधिनियम, 1996 के अर्थांतर्गत इस धारा के निबंधनों पर माध्यस्थम् के लिए प्रस्तुत समझा जाएगा । 1996 का 26

(5) विवाद समाधान निकाय के कार्य को विनियमित करने की प्रक्रिया ऐसी होगी जो अध्यादेशों द्वारा उपबंधित की जाए ।

अपील का अधिकार ।

42. (1) अकादमिक और अनुसंधान परिषद्, क्षमता निर्माण परिषद्, निर्धारण और सुधार परिषद्, अनुसंधान और विकास परिषद्, सहबद्धता और मान्यता बोर्ड और सहकारी अध्ययन बोर्ड के विनिश्चय या आदेश से व्यथित कोई व्यक्ति, जिसके अंतर्गत विश्वविद्यालय का कर्मचारी या छात्र भी है, कार्यकारी परिषद् को अपील फाइल कर सकेगा ।

(2) उपधारा (1) में निर्दिष्ट अपील फाइल करने और उसका निपटारा करने का प्ररूप, रीति और प्रक्रिया ऐसी होगी, जो अध्यादेशों द्वारा उपबंधित की जाए ।

भविष्य और पेंशन निधियां ।

43. (1) विश्वविद्यालय अपने कर्मचारियों के लाभ के लिए, ऐसी रीति में और ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए, जो अध्यादेशों द्वारा उपबंधित की जाए, ऐसी भविष्य निधि या किसी अन्य समान निधि का गठन करेगी अथवा ऐसी बीमा स्कीमें उपबंधित करेगी, जो वह ठीक समझे ।

(2) जहां ऐसी भविष्य निधि या अन्य समान निधि इस प्रकार गठित हो गई है, वहां केन्द्रीय सरकार यह घोषित कर सकेगी कि ऐसी निधि को भविष्य निधि अधिनियम, 1925 के उपबंध लागू होंगे, मानो वह सरकारी भविष्य निधि हो । 1925 का 19

विवरणियां और सूचना ।

44. विश्वविद्यालय अपनी संपति या क्रियाकलापों के संबंध में ऐसी अवधि के भीतर, जो समय-समय पर केन्द्रीय सरकार द्वारा अवधारित किया जाएगा, ऐसी विवरणियां या अन्य सूचना केन्द्रीय सरकार को प्रस्तुत करेगा ।

कृत्यों और कार्यवाहियों का रिक्तियों के कारण अविधिमान्य नहीं होना ।

45. विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकारी या किसी अन्य निकाय का कोई कृत्य या कार्यवाहियां मात्र इस कारण से अविधिमान्य नहीं होंगे कि इसके सदस्यों के बीच रिक्ति या रिक्तियां विधिमान्य है ।

विश्वविद्यालय तथा इंस्टीट्यूट आफ रूरल मैनेजमेंट, आणंद स्कूल का सूचना का अधिकार अधिनियम के अधीन लोक प्राधिकारी होना । 2005 का 20

46. सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के उपबंध विश्वविद्यालय तथा इंस्टीट्यूट आफ रूरल मैनेजमेंट, आणंद स्कूल को लागू होंगे, मानो वह उस अधिनियम की धारा 2 के खंड (ज) में परिभाषित लोक प्राधिकारी हों ।

सद्भावपूर्वक की गई कार्रवाई के लिए संरक्षण ।

47. इस अधिनियम, इसके अधीन बनाए गए परिनियमों या अध्यादेशों के किन्हीं उपबंधों के अनुसरण में सद्भावपूर्वक की गई या की जाने के लिए आशयित किसी बात के लिए कोई वाद, अभियोजन या अन्य विधिक कार्यवाही विश्वविद्यालय के किसी

अधिकारी या अन्य कर्मचारी के विरुद्ध नहीं होगी ।

अधिनियम का अध्यारोही प्रभाव होना ।

48. अन्यथा यथा उपबंधित के सिवाय, इस अधिनियम के उपबंध विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 और तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अतिरिक्त होंगे न कि उसके अल्पीकरण में । 1956 का 3

विश्वविद्यालय के अभिलेख के सबूत का ढंग ।

49. भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 2023 या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, किसी प्राधिकारी या विश्वविद्यालय के किसी अन्य निकाय की किसी प्राप्ति, आवेदन, नोटिस, आदेश, कार्यवाही या संकल्प की एक प्रति या विश्वविद्यालय के कब्जे में कोई अन्य दस्तावेज या विश्वविद्यालय द्वारा सम्यक् रूप से अनुरक्षित किसी रजिस्टर में कोई प्रविष्टि, यदि रजिस्ट्रार द्वारा प्रमाणित हों तो वह ऐसी प्राप्ति, आवेदन, नोटिस, आदेश, कार्यवाही, संकल्प या दस्तावेज या रजिस्टर में प्रविष्टि के अस्तित्व का प्रथम दृष्टया साक्ष्य के रूप में प्राप्त की जाएगी तथा मामलों या संव्यवहारों में साक्ष्य के रूप में स्वीकार की जाएगी और जहां उसकी मूल प्रति यदि प्रस्तुत की जाती तो साक्ष्य के रूप में स्वीकार्य होती । 2023 का 47

परिनियमयों का संसद् के समक्ष रखा जाना ।

50. (1) इस अधिनियम के अधीन बनाया गया प्रत्येक परिनियम राजपत्र में प्रकाशित किया जाएगा ।

(2) इस अधिनियम के अधीन बनाया गया प्रत्येक परिनियम बनाए जाने के पश्चात्, यथाशीघ्र, संसद् के प्रत्येक सदन के समक्ष, जब वह सत्र में हो, कुल तीस दिन की अवधि के लिए रखा जाएगा । यह अवधि एक सत्र में अथवा दो या अधिक आनुक्रमिक सत्रों में पूरी हो सकेगी । यदि उस सत्र के या पूर्वोक्त आनुक्रमिक सत्रों के ठीक बाद के सत्र के अवसान के पूर्व दोनों सदन, यथास्थिति, उस परिनियम में कोई परिवर्तन करने के लिए सहमत हो जाएं तो तत्पश्चात् वह ऐसे परिवर्तित रूप में ही प्रभावी होगा । यदि उक्त अवसान के पूर्व दोनों सदन सहमत हो जाएं कि, यथास्थिति, वह परिनियम नहीं बनाया जाना चाहिए, तो तत्पश्चात् वह निष्प्रभावी हो जाएगा, किंतु परिनियम के ऐसे परिवर्तित या निष्प्रभाव होने से उसके अधीन पहले की गई किसी बात की विधिमान्यता पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा ।

(3) परिनियमयों को बनाने की शक्ति के अंतर्गत इस अधिनियम के प्रारंभ की तारीख से अपूर्व की तारीख से परिनियम को भूतलक्षी प्रभाव देने की शक्ति भी है किंतु किन्हीं परिनियमों को इस प्रकार भूतलक्षी प्रभाव नहीं दिया जाएगा जिससे किसी व्यक्तियों के हितों पर प्रतिकूल प्रभाव हों जिसमें ऐसे परिनियम लागू हों ।

अवशिष्ट उपबंध ।

51. (1) केन्द्रीय सरकार, विश्वविद्यालय तथा इंस्टीट्यूट आफ रूरल मैनेजमेंट, आणंद स्कूल से संबंधित किसी विषय से संव्यवहार करने के लिए प्राधिकारी होगी जो इस अधिनियम में विनिर्दिष्ट रूप से संव्यवहार किया गया न हो ।

(2) ऐसे सभी विषयों में केन्द्रीय सरकार का विनिश्चय अंतिम होगा ।

कठिनाइयों को दूर करने की शक्ति ।

52. (1) यदि इस अधिनियम के उपबंधों को प्रभावी करने में कोई कठिनाई उत्पन्न होती है तो केंद्रीय सरकार, राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा ऐसे उपबंध कर सकेगी, जो इस अधिनियम के उपबंधों से असंगत न हो, जो उस कठिनाई को दूर करने के लिए उसे

आवश्यक या समीचीन प्रतीत हो :

परंतु इस धारा के अधीन ऐसा कोई आदेश इस अधिनियम के प्रारंभ से तीन वर्ष की समाप्ति के पश्चात् नहीं किया जाएगा ।

(2) इस धारा के अधीन किया गया प्रत्येक आदेश, किए जाने के पश्चात्, यथाशीघ्र, संसद् के प्रत्येक सदन के समक्ष रखा जाएगा ।

संक्रमणकालीन उपबंध ।

53. इस अधिनियम और इसके अधीन बनाए गए परिनियमों में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी,—

(क) इंस्टीट्यूट आफ रूरल मैनेजमेंट, आणंद में कार्यरत शासी बोर्ड और अन्य समितियां, इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन विश्वविद्यालय में प्राधिकारियों या समितियों का गठन होने तक कार्य करती रहेंगी ;

(ख) इंस्टीट्यूट आफ रूरल मैनेजमेंट, आणंद के विद्यमान अधिकारी इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन विश्वविद्यालय में अधिकारियों की नियुक्ति होने तक कार्य करते रहेंगे ; और

(ग) प्रथम परिनियम और अध्यादेश बनाए जाने तक, इस अधिनियम के अधीन विनिर्दिष्ट रूप से संव्यवहार नहीं किया गया, कोई विषय इंस्टीट्यूट आफ रूरल मैनेजमेंट, आणंद के नियमों और विनियमों से शासित होगा ।

पहली अनुसूची

[धारा 6(iv) देखिए]

पाठ्यक्रम अभिकल्पन, शिक्षा शास्त्र और परिदान के लिए मार्गदर्शी सिद्धांत

1. सहकारी सेक्टर के लिए समुचित रूप से प्रशिक्षित मानव शक्ति का स्थायी पूल प्रदान करके "सहकार से समृद्धि" के दृष्टिकोण को प्राप्त करने के लिए समर्थकारी पारिस्थितिक तंत्र का सृजन करना ।

2. सभी सेक्टरों में, सभी क्षेत्रों में और सभी स्तरों पर अर्थात् राष्ट्रीय, राज्य, जिला या प्राथमिक में सहकारी सोसाइटियों के निदेशक बोर्ड के सदस्यों तथा कर्मचारियों की शिक्षा और प्रशिक्षण आवश्यकताओं को पूरा करना ।

3. कर्मचारियों के सभी स्तरों या संदायों अर्थात् प्रबंधकीय, पर्यवेक्षणीय, तकनीकी, प्रशासनिक और समान स्तरों के लिए पाठ्यक्रम अभिकल्पित करना ।

4. विभिन्न शैक्षणिक स्तरों और पृष्ठभूमियों से आने वाले छात्रों की आवश्यकताओं का ध्यान रखना ।

5. आधार पाठ्यक्रमों को अभिकल्पित करना जैसे सहकारी सिद्धांत, विधियां, कराधान, लेखांकन, संपरीक्षा, इतिहास, संस्कृति, सर्वोत्तम अंतरराष्ट्रीय और राष्ट्रीय व्यवहार और इनके समान पाठ्यक्रम ।

6. सेक्टोरल सहकारी सोसाइटियों के लिए डोमेन विनिर्दिष्ट पाठ्यक्रम अभिकल्पित करना (दुग्ध, मत्स्य, क्रेडिट, शहरी, सहकारी बैंक, कृषि कारबार, आवासन, विपणन और समान पाठ्यक्रम) ।

7. सहकारी प्रबंधन पाठयक्रम अभिकल्पित करना जिसके अंतर्गत वित्त, विपणन, मानक संसाधन, सूचना प्रणाली, संभारतंत्र, भंडारण और सामान सूची प्रबंधन ।

8. सहकारी सेक्टर में वृत्तिकता का वर्धन तथा सूचना प्रौद्योगिकी के प्रयोग की अंतर्वस्तु वाले पाठयक्रम को अभिकल्पित करना ।

9. सहकारी सेक्टर में कौशल निर्माण, उसके नवीकरण तथा वर्धन की आवश्यकता का समाधान करना ।

10. आवश्यकता आधारित समसामयिक, गतिशील और उत्तरवर्ती पाठ्यचर्या का विकास सुनिश्चित करने के लिए सहकारी सोसाइटियों के साथ निकट समन्वय में पाठ्यक्रम अभिकल्पित करना ।

11. मल्टीमीडिया और अन्य प्रौद्योगिकी उपकरणों का प्रयोग करते हुए पाठयक्रम अभिकल्पन, शिक्षा शास्त्र और अंतर्वस्तु परिदान में नवीनतम विकासों का ध्यान रखना ।

12. राष्ट्रीय सहकारी सोसाइटियों, राज्य सहकारी सोसाइटियों तथा सहकारी फेडरेशनों की विनिर्दिष्ट आवश्यकताओं को पूर्ण करना ।

13. सहकारी सेक्टर में इंजीनियरी तथा प्रौद्योगिकी पाठ्यक्रमों के लिए विशेषज्ञ आवश्यकताओं का समाधान करना (दुग्ध प्रसंस्करण प्रौद्योगिकी, बुनाई, कताई, प्रौद्योगिकी, भंडारण और संभार तंत्र प्रौद्योगिकी, सूचना प्रौद्योगिकी, उपक्रम संसाधन योजना और समान विषय) ।

14. प्रत्येक सेक्टर के लिए पाठयक्रमों में नवीनतम प्रौद्योगिकी विकासों को सम्मिलित करना ।

15. बढ़ती हुई आवश्यकताओं और प्रौद्योगिकी क्षेत्रों जैसे कृत्रिम बुद्धिमत्ता, मशीन लर्निंग और समान विषयों पर ध्यान देना ।

दूसरी अनुसूची

[धारा 34 देखिए]

प्रथम परिनियम

विश्वविद्यालय, धारा 7 के अधीन अपनी शक्तियों और कृत्यों के प्रयोग में यह सुनिश्चित करेगा कि वित्तीय दायित्व उपलब्ध वित्तीय संसाधनों से पूरे किए जाए और उस सीमा तक ऐसी प्रक्रियाओं को अपनाएगा और प्रवर्तित करेगा जो धारा 20 में निर्दिष्ट किसी प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित की जाए :

परंतु नियुक्तियों, प्रोन्नतियों तथा वेतन निर्धारण के साथ-साथ दोनों आवर्ती और अनावर्ती व्ययों से संबंधित केंद्रीय सरकार के वर्तमान नियम और प्रक्रियाएं, जिसके अंतर्गत अधिनियम की धारा 7 की उपधारा (1) के खंड (viii), खंड (x), खंड (xvii) और खंड (xxi) में निर्दिष्ट नियम भी है, लागू होंगे यदि विश्वविद्यालय एक बार पूंजी अनुदान के अलावा कोई वित्तीय सहायता या सकल बजटीय समर्थन की वांछा करता है ।

उद्देश्यों और कारणों का कथन

पिछले साढ़े तीन वर्षों में सहकारिता मंत्रालय द्वारा सहकारिता क्षेत्र को मजबूत करने के लिए कई नई पहल की गई हैं, जैसे प्राथमिक कृषि ऋण सोसाइटियों को बहुउद्देश्यीय, बहुआयामी और पारदर्शी इकाईयां बनाने के लिए आदर्श उप-विधियां, गैर समाविष्ट पंचायतों में दो लाख नई बहुउद्देश्यीय प्राथमिक कृषि ऋण सोसाइटियां या डेयरी या मत्स्य सहकारी सोसाटियां स्थापित करना, सहकारी क्षेत्र में विश्व की सबसे बड़ी विकेन्द्रीकृत अनाज भंडारण योजना, कृषि और ग्रामीण विकास बैंकों का कम्प्यूटरीकरण, क्रियाशील प्राथमिक कृषि ऋण सोसाइटियों का कम्प्यूटरीकरण, आयकर अधिनियम, 1961 में सहकारी समितियों को राहत, सहकारी चीनी मिलों के पुनरुद्धार के लिए पहल, बीज, जैविक उत्पाद और निर्यात के लिए तीन नई राष्ट्रीय स्तर की बहु-राज्य सहकारी समितियों की स्थापना, सहकारी नेतृत्व वाली श्वेत क्रांति 2.0 आदि । इन सभी पहलों से सहकारी क्षेत्र में रोजगार की भारी मांग उत्पन्न होगी ।

2. सहकारी क्षेत्र में वर्तमान शिक्षा और प्रशिक्षण का बुनियादी ढांचा बिखरा हुआ है और सहकारी समितियों में अर्हित श्रम बल की वर्तमान और भविष्य की मांग और विद्यमान कर्मचारियों की क्षमता निर्माण को पूरा करने के लिए बेहद अपर्याप्त है । इसमें मानकीकरण और क्वालिटी निगरानी तंत्र का भी अभाव है। इसलिए, यह आवश्यक है कि सहकारी समितियों में प्रबंधकीय, पर्यवेक्षी, प्रशासनिक, तकनीकी, परिचालन आदि जैसे विभिन्न श्रेणियों के रोजगारों के लिए वृत्तिक रूप से अर्हित श्रम बल की स्थिर, पर्याप्त और क्वालिटीपूर्ण आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए एक राष्ट्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना करके शिक्षा, प्रशिक्षण और अनुसंधान के लिए एक व्यापक, एकीकृत और मानकीकृत संरचना बनाई जाए और साथ ही सहकारी क्षेत्र में कर्मचारियों और बोर्ड के सदस्यों की क्षमता निर्माण के लंबे समय से लंबित मुद्दे को अखिल भारतीय और केंद्रित तरीके से संबोधित किया जाए ।

3. उपर्युक्त कारणों को ध्यान में रखते हुए, सहकारी क्षेत्र में एक राष्ट्रीय विश्वविद्यालय, अर्थात् "त्रिभुवन" सहकारी यूनिवर्सिटी की स्थापना का प्रस्ताव है।

4 यह भी प्रस्तावित है कि इंस्टीट्यूट आफ रूरल मैनेजमेंट, आणंद (ईरमा) को संसद के एक अधिनियम के माध्यम से "त्रिभुवन" सहकारी यूनिवर्सिटी के रूप में स्थापित किया जाएगा और इसे राष्ट्रीय महत्व का संस्थान भी घोषित किया जाएगा । चूंकि विश्वविद्यालय की स्थापना ईरमा, एक विद्यमान संस्थान, को घोषित करके की जाएगी, इसलिए विश्वविद्यालय "त्रिभुवन" सहकारी यूनिवर्सिटी अधिनियम, 2025 के लागू होने के तुरंत पश्चात् क्रियाशील हो जाएगा। ईरमा विश्वविद्यालय के स्कूलों में से एक होगा और इसे ग्रामीण प्रबंधन के लिए उत्कृष्टता केंद्र भी घोषित किया जाएगा, और इसकी स्वायत्तता और पहचान विश्वविद्यालय के संस्थागत ढांचे के भीतर संरक्षित की जाएगी ।

5. यह विश्वविद्यालय सहकारी क्षेत्र में अपनी तरह का पहला विशिष्ट विश्वविद्यालय होगा, जो सहकारी शिक्षा, प्रशिक्षण, अनुसंधान और विकास को बढ़ावा देगा तथा देश में सहकारी आंदोलन को मजबूत करेगा।

6. विश्वविद्यालय अपने परिसर में या राज्यों जो संबंधित क्षेत्रों में अग्रणी है, में डेयरी, मत्स्य पालन, चीनी, बैंकिंग, ग्रामीण ऋण, सहकारी वित्त, सहकारी विपणन, सहकारी लेखांकन, सहकारी विधि, सहकारी संपरीक्षा, बहु-राज्य सहकारी सोसाटियां आदि जैसे

क्षेत्र-विर्निदिष्ट स्कूल स्थापित करेगा। विश्वविद्यालय अपने उद्देश्यों की पूर्ति के लिए संबद्ध सहकारी शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थानों का एक अखिल भारतीय नेटवर्क भी सृजित करेगा।

7. पाठ्यक्रम डिजाइन, अध्यापन और परिदान में विश्वविद्यालय को मार्गदर्शन देने वाले सिद्धांतों को प्रस्तावित विधान की अनुसूची में सूचीबद्ध किया गया है।

8. विश्वविद्यालय की सहकारी समितियों की अधिक संख्या वाले राज्यों में कम से कम 4-5 संबद्ध महाविद्यालय या संस्थाएं होंगी तथा कम संख्या वाले राज्यों में कम से कम 1-2 संबद्ध महाविद्यालय या संस्थाएं होंगी । संबद्धता स्वैच्छिक आधार पर होगी तथा विद्यमान सहकारी संस्थान, जो कई प्राधिकरणों के अधीन हैं, को विश्वविद्यालय से संबद्ध होने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा।

9. विश्वविद्यालय, संबद्धता और मान्यता बोर्ड के माध्यम से, संबद्ध संस्थानों में उनके संकाय की भर्ती, संसाधन व्यक्तियों, प्रवेश मानदंडों, परीक्षाओं के संचालन, डिग्री या डिप्लोमा या प्रमाणपत्र प्रदान करने, पाठ्यक्रम डिजाइन और इस तरह के अन्य कार्यों को विनियमित करके मानकीकरण और क्वालिटी सुनिश्चित करेगा।

10. विश्वविद्यालय स्वयं (SWAYAM) जैसे विद्यमान मास ई-लर्निंग प्लेटफॉर्म का भी लाभ उठाएगा। विश्वविद्यालय सहयोग के क्षेत्र में अनुसंधान और विकास के लिए अन्य विश्वविद्यालयों या महाविद्यालयों या संस्थानों या सहकारी समितियों और अन्य पणधारियों के साथ सहयोग करेगा।

11. खंडों पर टिप्पण विधेयक में अंतर्विष्ट विभिन्न उपबंधों का विस्तृत वर्णन करते हैं ।

12. विधेयक, निम्नलिखित उद्देश्यों की पूर्ति के लिए है ।

नई दिल्ली ;
28 जनवरी, 2025

अमित शाह

खंडों पर टिप्पण

विधेयक का खंड 1 संक्षिप्त नाम और प्रारंभ का उपबंध करने के लिए है ।

विधेयक का खंड 2 राष्ट्रीय महत्व के संस्थान "त्रिभुवन" सहकारी यूनिवर्सिटी की घोषणा का उपबंध करने के लिए है ।

विधेयक का खंड 3 विधेयक में आए हुए विभिन्न पदों और अभिव्यक्तियों को परिभाषित करने का उपबंध करने के लिए है ।

विधेयक का खंड 4 ग्रामीण प्रबंध आणंद संस्थान जो "त्रिभुवन" सहकारी यूनिवर्सिटी के रूप में ज्ञात है, की स्थापन और निगमन का उपबंध करने के लिए है ।

विधेयक का खंड 5 "त्रिभुवन" सहकारी यूनिवर्सिटी के स्थापना के प्रभाव का उपबंध करने के लिए है ।

विधेयक का खंड 6 विश्वविद्यालय के लिए उद्देश्य का उपबंध करने के लिए है ।

विधेयक का खंड 7 विश्वविद्यालय की शक्तियों और कृत्यों का उपबंध करने के लिए है ।

विधेयक का खंड 8 विश्विद्यालय के सभी वर्गों जातियों और पंथों के लिए खुला होने का और विश्विद्यालय प्रवेश और नियोजन में आरक्षण के संबंध में केंद्रीय सरकार की नीतियों के अनुसरण करने के संबंध में उपबंध करने के लिए है ।

विधेयक का खंड 9 विश्विद्यालय के कार्य का पुनर्विलोकन करने और निदेश जारी करने की केंद्रीय सरकार की शक्ति का उपबंध करने के लिए है ।

विधेयक का खंड 10 कुलपति की नियुक्ति और कुलपति की निबंधन और अन्य शर्ते जो परिनियमों द्वारा उपबंधित किया जाये, का उपबंध करने के लिए है ।

विधेयक का खंड 11 विश्वविद्यालय और इंस्टीट्यूट आफ रूरल मैनेजमेंट आणंद, स्कूल के अधिकारियों का उपबंध करने के लिए है ।

विधेयक का खंड 12 कुलपति की नियुक्ति ऐसी रीति और सेवा के ऐसे निबंधन और शर्तों के अधीन होंगी जैसा कि परिनियमों द्वारा उपबंधित किया जाए, का उपबंध करने के लिए है ।

विधेयक का खंड 13 कुलसचिव की नियुक्ति ऐसी रीति और सेवा के ऐसे निबंधन और शर्तों के अधीन होंगी जैसा कि परिनियमों द्वारा उपबंधित किया जाए, का उपबंध करने के लिए है ।

विधेयक का खंड 14 वित्त अधिकारी की नियुक्ति की रीति और निबंध तथा शर्तों का उपबंध करने के लिए है और वह ऐसी शक्ति का प्रयोग करेगा तथा ऐसे कर्तव्यों का पालन करेगा जैसा कि परिनियमों द्वारा उपबंधित है ।

विधेयक का खंड 15 निदेशक की नियुक्ति का उपबंध करने के लिए है जो इंस्टीट्यूट आफ रूरल मैनेजमेंट आणंद, स्कूल का प्रधान शैक्षणिक और प्राशासनिक अधिकारी होगा तथा वह ऐसी रीति से एवं निबंधन तथा शर्तों पर ऐसी शक्तियों का प्रयोग करेगा तथा ऐसे कर्तव्यों का पालन करेगा जैसा कि अध्यादेश द्वारा उपबंधित किया जाए, का उपबंध करने के लिए है ।

विधेयक का खंड 16 संकायाध्यक्ष की नियुक्ति करने के लिए है जो ऐसी रीति से एवं ऐसे निबंधनों तथा शर्तों पर प्रधान शैक्षणिक और प्राशासनिक अधिकारी होगा तथा वह ऐसी शक्तियों का प्रयोग करेगा तथा ऐसे कर्तव्यों का पालन करेगा जैसा अध्यादेशों द्वारा उपबंधित किया जाए ।

विधेयक का खंड 17 परीक्षा-नियंत्रक की नियुक्ति ऐसी रीति और निबंध तथा शर्तों का उपबंध करने के लिए है तथा वह ऐसी शक्तियों और ऐसे कर्तव्यों का पालन करेगा जैसा कि अध्यादेशों द्वारा उपबंधित किया जाए ।

विधेयक का खंड 18 पुस्तकालयाध्यक्ष की नियुक्ति ऐसी रीति और निबंध तथा शर्तों का उपबंध करने के लिए है तथा वह ऐसी शक्तियों और ऐसे कर्तव्यों का पालन करेगा जैसा कि अध्यादेशों द्वारा उपबंधित किया जाए ।

विधेयक का खंड 19 अन्य अधिकारियों की नियुक्ति ऐसी रीति से तथा सेवा की ऐसे निबंधन और शर्तों पर करने का उपबंध करने के लिए है तथा वे ऐसी शक्तियों का प्रयोग करेंगे तथा वे ऐसे कर्तव्यों का पालन करेंगे जैसा कि अध्यादेशों द्वारा उपबंधित किया जाए ।

विधेयक का खंड 20 विश्वविद्यालय और इंस्टीट्यूट आफ रूरल मैनेजमेंट आणंद, स्कूल के प्राधिकरणों का उपबंध करने के लिए है ।

विधेयक का खंड 21 विश्वविद्यालय के शासी बोर्ड, उसकी संरचना, सदस्यों की पदावधि और बोर्ड की शक्तियों तथा कार्यों का उपबंध करने के लिए है ।

विधेयक का खंड 22 विश्वविद्यालय की कार्यकारी परिषद्, इसके गठन, इसके सदस्यों की पदावधि तथा परिषद् की ऐसी शक्तियों और कार्यों जिनका परिनियमों द्वारा उपबंधित किया जाए, का उपबंध करने के लिए है ।

विधेयक का खंड 23 शैक्षणिक और अनुसंधान परिषद्, इसके गठन, इसके सदस्यों की पदावधि तथा परिषद् की ऐसी शक्तियों और कार्यों जिनको अध्यादेशों द्वारा उपबंध किया जाए, का उपबंध करने के लिए है ।

विधेयक का खंड 24 इंस्टीट्यूट आफ रूरल मैनेजमेंट आणंद, स्कूल के कार्यकारी बोर्ड, इसके गठन, इसके अध्यक्ष के चयन, इसके अध्यक्ष और सदस्यों की पदावधि और बोर्ड की ऐसी शक्तियों और कार्यों जिनका परिनियमों द्वारा उपबंध किया जाए, का उपबंध करने के लिए है ।

विधेयक का खंड 25 क्षमता निर्माण परिषद्, इसके गठन, इसके सदस्यों की पदावधि और परिषद् की ऐसी शक्तियों और कार्यों जिनका अध्यादेशों द्वारा उपबंध किया जाए, का उपबंध करने के लिए है ।

विधेयक का खंड 26 निर्धारण और विकास परिषद्, इसके गठन, इसके सदस्यों की पदावधि और परिषद् की ऐसी शक्तियों और कार्यों जिनका अध्यादेशों द्वारा उपबंध किया जाए, का उपबंध करने के लिए है ।

विधेयक का खंड 27 अनुसंधान और विकास परिषद्, इसके गठन, इसके सदस्यों की पदावधि और परिषद् की ऐसी शक्तियों और कार्यों जिनका अध्यादेशों द्वारा उपबंध किया जाए, का उपबंध करने के लिए है ।

विधेयक का खंड 28 संबद्धता और मान्यता बोर्ड, इसके गठन, इसके सदस्यों की पदावधि और बोर्ड की ऐसी शक्तियों और कार्यों जिनका अध्यादेशों द्वारा उपबंध

किया जाए, का उपबंध करने के लिए है ।

विधेयक का खंड 29 वित्त समिति, इसके गठन, इसके सदस्यों की पदावधि और समिति की ऐसी शक्तियों और कार्यों जिनका अध्यादेशों द्वारा उपबंध किया जाए, का उपबंध करने के लिए है ।

विधेयक का खंड 30 सहकारी अध्ययन बोर्ड, इसके गठन, इसके सदस्यों की पदावधि और बोर्ड की ऐसी शक्तियों और कार्यों जिनका अध्यादेशों द्वारा उपबंध किया जाए, का उपबंध करने के लिए है ।

विधेयक का खंड 31 विश्वविद्यालय के अन्य प्राधिकरणों के नियुक्ति की रीति, निबंधन और शर्तें, शक्तियों और कृत्यों, का उपबंध करने के लिए है ।

विधेयक का खंड 32 शासी बोर्ड और कार्यकारी परिषद् के सिवाय प्राधिकरणों की बैठकों, का उपबंध करने के लिए है ।

विधेयक का खंड 33 विश्वविद्यालय के परिनियमों को बनाने, का उपबंध करने के लिए है ।

विधेयक का खंड 34 परिनियमों को बनाने की शक्ति, का उपबंध करने के लिए है । विश्वविद्यालय का पहला परिनियम केंद्रीय सरकार द्वारा बनाया और अधिसूचित किया जाएगा और नए परिनियमों द्वारा अधिक्रांत किए जाने तक वे बने रहेंगे ।

विधेयक का खंड 35 विश्वविद्यालय के अध्यादेशों को बनाने, का उपबंध करने के लिए है ।

विधेयक का खंड 36 अध्यादेश बनाने की शक्ति का उपबंध करने के लिए है । पहला अध्यादेश कुलपति द्वारा बनाया जाएगा और इस प्रकार बनाए गए अध्यादेशों को कार्यकारी परिषद् द्वारा किसी भी समय संशोधित या निरसित किया जा सकता है ।

विधयेक का खंड 37 कोई प्राधिकारी इस अधिनियम, इसके अधीन बनाए गए परिनियमों तथा अध्यादेशों के उपबंधों से संगत विनियम बनाने का उपबंध करने के लिए है ।

विधेयक का खंड 38 विश्वविद्यालय की वार्षिक रिपोर्ट बनाने का उपबंध करने के लिए है ।

विधेयक का खंड 39 उचित वार्षिक लेखों के रखरखाव का उपबंध करने के लिए है, जिनका भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा लेखा परीक्षण किया जाना है ।

विधेयक का खंड 40 विश्वविद्यालय की निधि का उपबंध करने के लिए है ।

विधेयक का खंड 41 कर्मचारियों आदि की सेवा की शर्तों का उपबंध करने के लिए है ।

विधेयक का खंड 42 अपील के अधिकार और अपील फाइल करने तथा निपटाने का प्रारूप, रीति और प्रक्रिया जिनको अध्यादेशों द्वारा निर्धारित किया जाए, का उपबंध करने के लिए है ।

विधेयक का खंड 43 भविष्य और पेंशन नीधियों का उपबंध करने के लिए है ।

विधेयक का खंड 44 विश्वविद्यालय अपनी संपत्ति या क्रियाकलापों के संबंध में ऐसी अवधि के भीतर जो समय समय पर केंद्रीय सरकार द्वारा अवधारित किया जाए,

ऐसी विवरणियां या अन्य सूचना केंद्रीय सरकार को प्रस्तुत करने का उपबंध करने के लिए है ।

विधेयक का खंड 45 विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकारी या किसी अन्य निकाय का कोई कृत्य या कार्यवाहियां मात्र इस कारण से अविधिमान्य नहीं होंगी कि इसके सदस्यों के बीच रिक्तियां विद्यमान है, का उपबंध करने के लिए है ।

विधेयक का खंड 46 विश्वविद्यालय और ग्रामीण प्रबंध स्कूल संस्थान सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अधीन लोक प्राधिकारी होने का उपबंध करने के लिए है ।

विधेयक का खंड 47 सद्भावपूर्वक की गयी कार्यवाही के संरक्षण का उपबंध करने के लिए है ।

विधेयक का खंड 48 अधिनियम का अध्यारोही प्रभाव होने का उपबंध करने के लिए है ।

विधेयक का खंड 49 विश्विद्यालय के अभिलेख के सबूत के ढंग का उपबंध करने के लिए है ।

विधेयक का खंड 50 परिनियमों का संसद् के समक्ष रखे जाने का उपबंध करने के लिए है ।

विधेयक का खंड 51 अवशिष्ट उपबंध, का उपबंध करने के लिए है ।

विधेयक का खंड 52 कठिनाइयों को दूर करने की शक्ति का उपबंध करने के लिए है ।

विधेयक का खंड 53 संक्रमणकालीन उपबंध, का उपबंध करने के लिए है ।

वित्तीय ज्ञापन

विधेयक का खंड 4 "त्रिभुवन" सहकारी यूनिवर्सिटी की स्थापना और निगमन का उपबंध करता है ।

2. नई अवसंरचना के सृजन के लिए वित्तीय विवक्षा पांच सौ करोड़ रुपए होने का अनुमान है ।

3. व्यय समग्र निधि के रूप में दिए जाने वाले पांच सौ करोड़ रुपए के एकबार पूंजी अनुदान के माध्यम से भारत की संचित निधि से पूरा किया जाएगा ।

4. विश्वविद्यालय पूर्वोक्त वर्णित पांच सौ करोड़ रुपए की समग्र निधि के आगे किसी अतिरिक्त निधि की ईप्सा नहीं करेगा ।

5. विश्वविद्यालय खंड 7 के अधीन अपनी शक्तियों और कृत्यों के प्रयोग में यह सुनिश्चित करेगा कि वित्तीय दायित्वों को उपलब्ध वित्तीय संस्थानों से पूरा किया जाए तथा उस सीमा तक ऐसी प्रक्रियाओं का उपाय और प्रवर्तन करेगा, जो खंड 20 में निर्दिष्ट किसी प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित की जाएं :

परंतु खंड 7 के उपखंड (1) की मद (viii), मद (x), मद (xvii) और मद (xxi) में निर्दिष्ट व्ययों सहित आवर्ती और अनावर्ती दोनों व्ययों के साथ-साथ नियुक्तियों, प्रोन्नतियों और वेतन नियत करने से संबंधित केंद्रीय सरकार के वर्तमान नियम और प्रक्रियाएं लागू होंगे, यदि विश्वविद्यालय एकबार पूंजी अनुदान के अतिरिक्त कोई वित्तीय सहायता या सकल बजटीय समर्थन की ईप्सा करता है ।

प्रत्यायोजित विधान के बारे में ज्ञापन

विधेयक का खंड 33 विनिर्दिष्ट करता है कि अधिनियम के उपबंधों के अधीन रहते हुए, वे विषय, जिनके संबंध में प्रस्तावित विधान के अधीन परिनियम बनाए जा सकेंगे । ये विषय, अन्य बातों के साथ-साथ, निम्नलिखित से संबंधित है : (क) इंस्टीट्यूट आफ रूरल मैनेजमेंट, आणंद स्कूल के शासी बोर्ड, कार्यकारी परिषद् और कार्यकारी बोर्ड का गठन और ग्रामीण प्रबंध संस्थान आणंद की अकादमिक और प्रशासनिक स्वायत्त, जो समय-समय पर गठित किए जाएं तथा उनकी शक्तियां और कृत्य ; (ख) इंस्टीट्यूट आफ रूरल मैनेजमेंट, आणंद के शासी बोर्ड, कार्यकारी परिषद् और कार्यकारी बोर्ड के सदस्यों की नियुक्ति और उनका पद पर बने रहना तथा इन प्राधिकारियों से संबंधित अन्य सभी विषय ; (ग) इस अधिनियम के अधीन घोषित इंस्टीट्यूट आफ रूरल मैनेजमेंट आणंद, स्कूल की नामपद्धति ; (घ) केंद्रीय सरकार के संबंधित विभागों के परामर्श से विनिश्चित किए जाने वाले अध्यापकों के विश्वविद्यालय से अन्य केन्द्रीय विश्वविद्यालय या केन्द्रीय वित्तपोषित तकनीकी संस्थानों में स्थानान्तरण से संबंधित किसी उपबंध के अधीन रहते हुए, विधेयक के खंड 7 के उपखंड (3) की मद (iv) से संबंधित निबंधन और शर्तें ; (ङ) ऐसे सभी अन्य विषय, जो इस अधिनियम के अनुसार परिनियमों द्वारा उपबंधित किए जाने हैं या किए जाएं ।

2. विधेयक का खंड 34 केंद्रीय सरकार को विश्वविद्यालय के प्रथम परिनियमों को बनाने और अधिसूचित करने के लिए सशक्त करता है । पश्चातवर्ती परिनियम भी केंद्रीय सरकार द्वारा कार्यकारी परिषद् की सिफारिश पर बनाए जाएंगे ।

3. विधेयक का खंड 35 विनिर्दिष्ट करता है कि अधिनियम और उसके अधीन बनाए गए परिनियमों के अधीन रहते हुए (सामान्य या आपवादिक प्रकृति) के विषय, जिनके संबंध में प्रस्तावित विधान के अधीन ऐसे अध्यादेश बनाए जा सकेंगे । ये विषय, अन्य बातों के साथ-साथ, निम्नलिखित से संबंधित है : (क) इंस्टीट्यूट आफ रूरल मैनेजमेंट, आणंद और विश्वविद्यालय के अन्य निकायों के शासी बोर्ड, कार्यकारी परिषद् और कार्यकारी बोर्ड के सिवाय, सभी प्राधिकरणों का गठन, शक्तियां और कृत्य, जो समय-समय पर गठित किए जाएं ; (ख) उक्त प्राधिकरणों और निकायों के सदस्यों की नियुक्ति और पद पर बने रहना, सदस्यों की रिक्तियों का भरना तथा उन प्राधिकरणों और अन्य निकायों से संबंधित अन्य सभी विषय, जिनके लिए उपबंध करना आवश्यक या वांछनीय हो; (ग) कुलपति, रजिस्ट्रार और वित्त अधिकारी के सिवाय विश्वविद्यालय के अधिकारियों की नियुक्ति, शक्तियां और कर्तव्य ; (घ) विश्वविद्यालय के शिक्षकों, अकादमिक कर्मचारिवृंद और अन्य कर्मचारियों की नियुक्ति, उनकी परिलब्धियां और उनकी सेवा की शर्तें ; (ङ) संयुक्त परियोजना चलाने के लिए विनिर्दिष्ट अवधि हेतु किसी अन्य विश्वविद्यालय या संगठन में कार्यरत शिक्षकों और अकादमिक कर्मचारिवृंद की नियुक्ति ; (च) कर्मचारियों की सेवा की शर्तें, जिसके अंतर्गत पेंशन, बीमा, भविष्य-निधि, सेवा समाप्त करने की रीति और अनुशासनात्मक कार्रवाई भी है ; (छ) विश्वविद्यालय के कर्मचारियों की सेवा की वरिष्ठता शासित करने वाले सिद्धांत ; (ज) कर्मचारियों या छात्रों और विश्वविद्यालय के बीच विवादों के मामले में माध्यस्थम् के लिए प्रक्रिया ; (झ) विश्वविद्यालय के किसी अधिकारी या प्राधिकारी की कार्रवाई के विरुद्ध किसी कर्मचारी या छात्र द्वारा

कार्यकारी परिषद् को अपील करने की प्रक्रिया ; (त्र) संस्थानों को सहबद्धता प्रदान करना ; (ट) विद्यालयों, विभागों और छात्रावासों की स्थापना और उन्हें बंद करना ; (ठ) अनुदेश और परीक्षा का माध्यम ; (ड) डिग्री, डिप्लोमा, प्रमाणपत्र और अन्य अकादमिक योग्यताओं को प्रदान करना और उनके लिए अर्हताएं तथा उन्हें अनुदत्त करने और प्राप्त करने के संबंध में किए जाने वाले उपाय; (ढ) विश्वविद्यालय में अध्ययन के पाठ्यक्रमों के लिए तथा विश्वविद्यालय की परीक्षाओं में प्रवेश, डिग्री और डिप्लोमा के लिए भारित की जाने वाली फीस ; (ण) शिक्षावृत्ति, अध्येतावृत्ति, छात्रवृत्ति, मेडल और पुरस्कारों को प्रदान करने के लिए शर्तें ; (त) परीक्षाओं का संचालन, जिसके अंतर्गत परीक्षा करवाने वाले निकायों, परीक्षकों और जांचकर्ताओं की पदावधि और नियुक्ति की रीति तथा कर्तव्य ; (थ) विश्वविद्यालय के छात्रों के निवास की शर्तें ; (द) विशेष व्यवस्थाएं, यदि कोई हों, जो महिला छात्राओं के निवास और अध्यापन के लिए की जा सके तथा उनके लिए अध्ययन के विशेष पाठ्यक्रम विनिर्दिष्ट करना ; (ध) अध्ययन केन्द्र, अध्ययन बोर्ड तथा अन्य समितियों की स्थापना ; और (न) कोई अन्य विषय, जो प्रस्तावित विधान या परिनियमों द्वारा या अध्यादेशों द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाना है या किया जाए ।

4. विधेयक का खंड 36 उपबंध करता है कि अध्यादेश विश्वविद्यालय के संबंधित प्राधिकारी की सिफारिश पर कार्यकारी परिषद् द्वारा बनाए जाएंगे, जैसा कार्यकारी परिषद् द्वारा विनिश्चित किया जाए तथा इस प्रकार बनाया गया प्रत्येक अध्यादेश सूचना के लिए केंद्रीय सरकार को भेजा जाएगा ।

5. विधेयक का खंड 37 उपबंध करता है कि विश्वविद्यालय कोई प्राधिकारी उसके स्वयं के कारबार के संचालन के लिए इस अधिनियम, उसके अधीन बनाए गए परिनियमों और अध्यादेशों के उपबंधों से संगत विनियम बना सकेगा तथा इस प्रकार बनाया गया प्रत्येक विनियम सूचना के लिए कार्यकारी परिषद् को भेजा जाएगा ।

6. विधेयक का खंड 50 उपबंध करता है कि प्रस्तावित विधान के अधीन बनाया गया प्रत्येक परिनियम और जारी की गई प्रत्येक अधिसूचना संसद् के प्रत्येक सदन के समक्ष रखा जाना अपेक्षित है ।

7. वे विषय, जिनके संबंध में परिनियम, अध्यादेश या विनियम बनाए जा सकेंगे, प्रक्रियात्मक और प्रशासनिक ब्यौरे के विषय हैं और इस प्रकार स्वयं प्रस्तावित विधान में उनके लिए उपबंध करना व्यावहारिक नहीं है । इसलिए, विधायी शक्तियों का प्रत्यायोजन सामान्य प्रकृति का है ।

"त्रिभुवन" सहकारी यूनिवर्सिटी विधेयक, 2025 का शुद्धि पत्र

पृष्ठ	पंक्ति	के स्थान पर	पढ़ें
11	34-35	केन्द्रीय सरकार, ऐसी राज्य सरकार के परामर्श से जैसी वह ठीक समझे, अधिसूचना द्वारा,	केन्द्रीय सरकार, अधिसूचना द्वारा,
15	1	कुलपति	कुलाधिपति